अध्याय 13

कर का भुगतान

अध्याय में उल्लिखित भाग संख्या सामान्यतः सीजीएसटी अधिनियम से संबंधित हैं, जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा न बताया गया हो। अध्याय में दिए गए उदाहरण/चित्रण/प्रश्न और उत्तर, जहाँ लागू हों, 30.04.2025 *तक मौजूद जीएसटी कानून की स्थिति पर आधारित हैं।*

अधिगम परिणाम

अध्याय के अध्ययन के पश्चात्, आप सक्षम होंगे -

- पंजीकृत व्यक्ति के पास उपलब्ध तीन प्रकार की पुस्तिकाओं/रजिस्टरों का वर्णन करना - इलेक्ट्रॉनिक नकद पुस्तिका , इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट पुस्तिका और इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर।
- क्रॉस उपयोग के क्रेडिट की कार्यप्रणाली को समझना।
- उस कालक्रम को समझना और लागू करना, जिसमें करदाता अपनी देयता का निर्वहन करता है।
- उन परिस्थितियों की पहचान और विश्लेषण करना, जिनमें दंडात्मक ब्याज लगाया जाता है।
- केंद्रीय और राज्य सरकार के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट के हस्तांतरण की प्रक्रिया।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अध्याय का सारांश

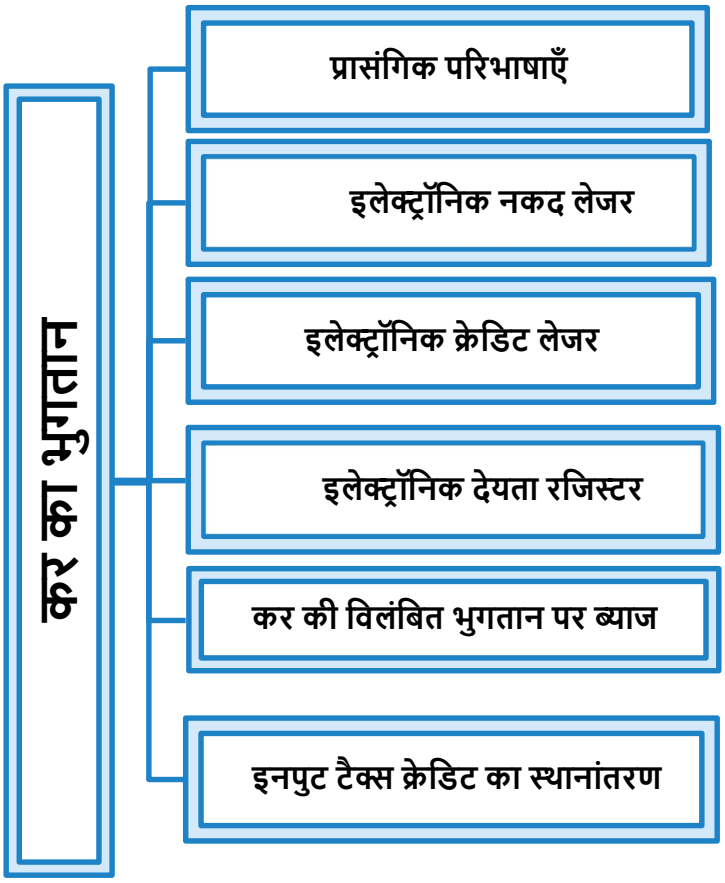

1. परिचय

जीएसटी व्यवस्था में, किसी भी अंतःराज्य आपूर्ति के लिए, भुगतान किए जाने वाले कर केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) होते हैं, जो केंद्रीय सरकार के खाते में जाते हैं, और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी)/(यूटीजीएसटी) होते हैं, जो संबंधित राज्य सरकार के खाते में जाते हैं। किसी भी अंतरराज्य आपूर्ति के लिए, भुगतान योग्य कर एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) होता है, जिसमें सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के घटक होते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को सरकार के खाते में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(टीसीएस)[1] भी भुगतान करना आवश्यक होगा। इसके अलावा, जहाँ लागू हो, ब्याज, जुर्माना, शुल्क और कोई अन्य भुगतान भी करना होगा।

ई-लेजर का परिचय जीएसटी व्यवस्था के तहत एक अनूठी विशेषता है। इलेक्ट्रॉनिक लेजर या ई-लेजर दो प्रकार के होते हैं। एक सेट करदाता द्वारा तैयार और अद्यतन किया जाता है - इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। दूसरा सेट पंजीकृत व्यक्ति या कर प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न के आधार पर तैयार और अद्यतन किया जाता है अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर।

जब कोई करदाता सामान्य पोर्टल (जीएसटीएन) पर पंजीकृत हो जाता है, तो दो ई-लेजर (नकद और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर) तथा एक इलेक्ट्रॉनिक कर देयता रजिस्टर स्वचालित रूप से खुल जाते हैं और हमेशा उसके डैशबोर्ड पर प्रदर्शित रहते हैं।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 का अध्याय एक्स कर के भुगतान से संबंधित उपबंधों का विनियमन करता है, जिसमें भाग 49 से 53ए तक शामिल हैं। इन भागओं के अंतर्गत आवृत विषयों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है -

- भाग 49 में तीन लेजरों अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर के विषय में चर्चा की गई है,
- भाग 49ए एवं 49बी में इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग तथा इसके उपयोग के क्रम के विषय में बताया गया है,
- भाग 50 में कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज के विषय में प्रावधान हैं,
- भाग 51 में उन परिस्थितियों को निर्धारित किया गया है जिनमें स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) अनिवार्य हो जाती है,
- भाग 52 में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) के अंतर्गत कर संग्रह की परिस्थितियों का विवरण है,
- भाग 53 में इनपुट टैक्स क्रेडिट के स्थानांतरण की विधि वर्णित है, और
- भाग 53ए में कुछ विशेष राशियों के स्थानांतरण की चर्चा की गई है।

---

[1] *यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि* भाग *51 एवं 52, जो टीडीएस एवं टीसीएस से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करती हैं, इस अध्ययन सामग्री के अध्याय-14 में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई हैं।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के अध्याय IX, जिसमें नियम 85 से 88डी सम्मिलित हैं, कर भुगतान से संबंधित प्रावधानों को विनियमित करता है। इन नियमों में से, नियम 86ए एवं 86बी का विस्तृत वर्णन अध्याय-8: इनपुट टैक्स क्रेडिट में किया जा चुका है। नियम 88सी एवं नियम 88डी का विवरण अध्याय-15: रिटर्न में किया जाएगा।

सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत कर के भुगतान के प्रावधानों को आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 20 के माध्यम से आईजीएसटी अधिनियम, 2017 पर भी लागू किया गया है।

भाग 49, 49ए, 49बी, 50, 53, 53ए एवं संबंधित नियमों के प्रावधानों को समझने से पूर्व, आइए पहले कुछ प्रासंगिक परिभाषाओं पर दृष्टि डालते हैं।

2. प्रासंगिक परिभाषाएँ

- **एजेंट** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है, जिसमें फैक्टर, दलाल, कमीशन एजेंट, अर्हतिया, डेल क्रेडेरे एजेंट, नीलामीकर्ता या कोई अन्य व्यावसायिक एजेंट सम्मिलित हैं, जिसे किसी भी नाम से कहा जाता हो, जो किसी अन्य की ओर से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति या प्राप्ति का व्यवसाय करता हो [भाग 2(5)]।
- **अधिकृत बैंक** का अर्थ उस बैंक या बैंक की शाखा से है जिसे इस अधिनियम के तहत कर या कोई अन्य देय राशि एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा अधिकृत किया गया हो [भाग 2(14)]।
- **केन्द्रीय कर** से तात्पर्य वह केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर है जो भाग 9 के तहत लगाया जाता है [भाग 2(21)]।
- **सामान्य पोर्टल** से तात्पर्य वह सामान्य वस्तु एवं सेवा कर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जिसका उल्लेख भाग 146 में किया गया है [भाग 2(26)]।
- **काउंसिल** से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत स्थापित वस्तु एवं सेवा कर परिषद से है [भाग 2(36)]।
- **सेस** का वही अर्थ होगा जो वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम में निर्धारित है [भाग 2(22)]।
- **इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर** से तात्पर्य वह इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर है जिसका उल्लेख भाग 49 की उप-भाग (1) में किया गया है [भाग 2(43)]।
- **इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर** से तात्पर्य वह इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है जिसका उल्लेख भाग 49 की उप-भाग (2) में किया गया है [भाग 2(46)]।
- **एकीकृत कर** से तात्पर्य वह एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर है जो एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत लगाया जाता है [भाग 2(58)]।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

- पंजीकृत व्यक्ति के सन्दर्भ में **इनपुट टैक्स** का अर्थ है वह केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या केंद्र शासित प्रदेश कर जो उसकी ओर की गई किसी भी वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति पर लगाया गया हो और इसमें निम्नलिखित शामिल हैं–
  - ✓ आयातित वस्तुओं पर लगाए गए एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर;
  - ✓ भाग 9 की उप-भाग (3) और (4) के प्रावधानों के अंतर्गत देय कर;
  - ✓ आईजीएसटी अधिनियम की भाग 5 की उप-भाग (3) और (4) के प्रावधानों के अंतर्गत देय कर;
  - ✓ प्रत्येक राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की भाग 9 की उप-भाग (3) और (4) के प्रावधानों के अंतर्गत देय कर; अथवा
  - ✓ केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की भाग 7 की उप-भाग (3) और (4) के प्रावधानों के अंतर्गत देय कर।

  परंतु इसमें संकलन कर के अंतर्गत दिया गया कर सम्मिलित नहीं है [भाग 2(62)]।
- **इनपुट टैक्स क्रेडिट** से तात्पर्य इनपुट टैक्स का क्रेडिट है [भाग 2(63)]।
- **अधिसूचना** का अर्थ राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है तथा "अधिसूचित करना" एवं "अधिसूचित" अभिव्यक्तियों की व्याख्या उसी अनुरूप की जाएगी [भाग 2(80)]।
- करयोग्य व्यक्ति के सन्दर्भ में **आउटपुट कर** से तात्पर्य इस अधिनियम के अंतर्गत उसकी या उसके एजेंट द्वारा की गई करयोग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर है, परंतु इसमें वह कर सम्मिलित नहीं है जो वह रिवर्स चार्ज आधार पर देने के लिए देय है [भाग 2(82)]।
- **व्यक्ति** में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:-
  - (क) एक व्यक्ति;
  - (ख) एक हिन्दू अविभाजित परिवार;
  - (ग) एक कंपनी;
  - (घ) एक फर्म;
  - (ङ) एक सीमित दायित्व भागीदारी
  - (च) व्यक्तियों का एक संघ या व्यक्तियों की एक निकाय, चाहे भारत या भारत के बाहर निगमित हो या न हो;

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(छ) कोई निगम जो किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित हो, या कोई सरकारी कंपनी जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की भाग 2 के खंड (45) में परिभाषित किया गया है;

(ज) कोई भी निकाय जो भारत के बाहर के किसी देश के विधि के अंतर्गत निगमित किया गया हो;

(झ) कोई सहकारी समिति जो सहकारी समितियों से संबंधित किसी विधि के अधीन पंजीकृत हो;

(ञ) स्थानीय प्राधिकरण;

(ट) केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार;

(ठ) वह सोसायटी जैसा कि सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत परिभाषित है;

(ड) कोई ट्रस्ट; तथा

(ढ) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति, जो उपर्युक्त में से किसी में नहीं आता हो [भाग 2(84)]।

- वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति का **प्राप्तकर्ता** का अर्थ है–

(क) जहाँ वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के लिए मूल्य देय होता है, वह व्यक्ति जो उस मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है;

(ख) जहाँ वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कोई मूल्य देय नहीं है, वह व्यक्ति जिसे वस्तुएँ प्रदान की जाती हैं या सुलभ कराई जाती हैं, या जिसे वस्तुओं का स्वामित्व या उपयोग प्रदान किया जाता है या सुलभ कराया जाता है; तथा

(ग) जहाँ सेवा की आपूर्ति के लिए कोई मूल्य देय नहीं है, वह व्यक्ति जिसे सेवा प्रदान की जाती है,

और जिस व्यक्ति को आपूर्ति की जाती है, उसके संदर्भ को आपूर्ति के प्राप्तकर्ता के संदर्भ में समझा जाएगा और इसमें प्राप्तकर्ता की ओर से कार्यरत एजेंट भी सम्मिलित होगा, जो आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में कार्य कर रहा हो [भाग 2(93)]।

- **राज्य कर** से तात्पर्य किसी राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कर है [भाग 2(104)]।

- किसी वस्तु या सेवा या दोनों के संदर्भ में **सप्लायर** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो उक्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति करता है, तथा इसमें वह एजेंट भी सम्मिलित होगा जो उक्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में ऐसे सप्लायर की ओर से उस क्षमता में कार्य करता है:

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

परंतु यह अपेक्षित है कि वह व्यक्ति जो निर्दिष्ट प्रवर्तनीय दावों की आपूर्ति का सीधे या परोक्ष रूप से आयोजन या प्रबंध करता है, जिसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित है जो ऐसी आपूर्ति के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म का स्वामित्व रखता है, उसका संचालन करता है या उसका प्रबंधन करता है, उसे ऐसे प्रवर्तनीय दावों का सप्लायर माना जाएगा, चाहे ऐसे प्रवर्तनीय दावे उसकी ओर से या उसके माध्यम से आपूर्ति किए गए हों तथा चाहे ऐसे प्रवर्तनीय दावों की आपूर्ति के लिए धन या धन के तुल्य मूल्य, जिसमें वर्चुअल डिजिटल संपत्तियाँ भी सम्मिलित हैं, का भुगतान या अंतरण उसकी ओर, उसके माध्यम से या किसी भी रूप में उसकी सुविधा हेतु किया गया हो; और इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे निर्दिष्ट प्रवर्तनीय दावों के सप्लायर पर इस प्रकार लागू होंगे मानो वह उक्त प्रवर्तनीय दावों की आपूर्ति के संबंध में कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी सप्लायर हो; [भाग 2(105)]।

- **कर अवधि** से तात्पर्य वह अवधि है जिसके लिए रिटर्न प्रस्तुत करना आवश्यक होता है [भाग 2(106)]।
- **करयोग्य व्यक्ति** से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भाग 22 या भाग 24 के तहत पंजीकृत है या पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है [भाग 2(107)]।
- **वैध रिटर्न** से तात्पर्य वह रिटर्न है जो भाग 39 की उप-भाग (1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया हो और जिस पर स्व-मूल्यांकित कर पूरी तरह से भुगतान किया गया हो [भाग 2(117)]।

इस अध्याय से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं को समझ लेने के बाद, अब केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अध्याय X के प्रावधानों पर चर्चा करते हैं।

3. कर, ब्याज, दण्ड और अन्य राशियों का भुगतान [भाग 49]

	वैधानिक प्रावधान	
भाग 49	कर, ब्याज, दण्ड एवं अन्य राशियों का भुगतान	
उप-भाग	खंड	विवरण
(1)	*कर, ब्याज, दण्ड, शुल्क या कोई अन्य राशि के रूप में कोई भी जमा जो कोई व्यक्ति इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी), रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) या ऐसे अन्य माध्यमों द्वारा और नियत शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन करता है,*	

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

		वह ऐसे व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में जमा किया जाएगा, जिसे नियत विधि के अनुसार रखा जाएगा।
(2)		*पंजीकृत व्यक्ति द्वारा रिटर्न में स्व-मूल्यांकित इनपुट टैक्स क्रेडिट को उसकी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में* भाग *41 के अनुसार जमा किया जाएगा, जिसे नियत विधि के अनुसार रखा जाएगा।*
(3)		*इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत देय कर, ब्याज, दंड, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए नियत विधि, शर्तों और समय सीमा के अनुसार किया जा सकता है।*
(4)		*इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत आउटपुट कर के भुगतान के लिए नियत विधि, शर्तों, प्रतिबंधों और समय सीमा के अनुसार किया जा सकता है।*
(5)	*पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि निम्नलिखित कारणों से होती है–*	
	(क)	*एकीकृत कर का उपयोग पहले एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो क्रमशः केंद्रीय कर तथा राज्य कर, या जहाँ लागू हो, केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है।*
	(ख)	*केंद्रीय कर का उपयोग पहले केंद्रीय कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है।*
	(ग)	*राज्य कर का उपयोग पहले राज्य कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि, यदि कोई हो, तो एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है।* *परंतु राज्य कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए तभी किया जाएगा जब केंद्रीय कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का शेष एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध न हो।*
	(घ)	*केंद्र शासित प्रदेश कर का उपयोग पहले केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि,*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

		यदि कोई हो, तो एकीकृत कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है। *परंतु केंद्र शासित प्रदेश कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग एकीकृत कर के भुगतान के लिए तभी किया जाएगा जब केंद्रीय कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट का शेष एकीकृत कर के भुगतान के लिए उपलब्ध न हो।*
	(ङ)	*केंद्रीय कर का उपयोग राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा; तथा*
	(च)	*राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर का उपयोग केंद्रीय कर के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा।*
(6)	*इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत देय कर, ब्याज, दण्ड, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के पश्चात् इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि को* भाग *54 के प्रावधानों के अनुसार लौटाया [2]जा सकता है।*	
(7)	*इस अधिनियम के अंतर्गत किसी करयोग्य व्यक्ति की सभी देनदारियाँ नियत विधि के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में दर्ज और संधारित की जाएंगी।*	
(8)	*प्रत्येक करयोग्य व्यक्ति इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अपने कर एवं अन्य देय राशियों का भुगतान निम्नलिखित क्रम में करेगा, अर्थात्:-*	
	(क)	*स्व-मूल्यांकित कर एवं पूर्व कर अवधियों के रिटर्न से संबंधित अन्य देय राशियाँ;*
	(ख)	*स्व-मूल्यांकित कर एवं वर्तमान कर अवधि के रिटर्न से संबंधित अन्य देय राशियाँ;*
	(ग)	*इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत देय कोई भी अन्य राशि, जिसमें* भाग *73,* भाग *74 या* **भाग *74ए*** *के तहत निर्धारित मांग भी शामिल है;*

[2] रिफंड का अर्थ है कोई भी अतिरिक्त जीएसटी वापस प्राप्त करना। यह मुख्यतः निर्यात, अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) या गलती से अधिक कर भुगतान आदि के कारण होता है। विस्तृत प्रावधान भाग *54 एवं संबंधित नियमों में निहित हैं, जिन पर अंतिम स्तर पर चर्चा की जाएगी।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(9)		*जो भी व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर कर का भुगतान करता है, वह, जब तक कि उसके द्वारा इसके विपरीत प्रमाणित न किया जाए, ऐसे कर का पूरा भार उन वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता को स्थानांतरित कर चुका माना जाएगा।*
(10)		*कोई भी पंजीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इस अधिनियम के तहत अपने इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में उपलब्ध कर, ब्याज, दण्ड, शुल्क या किसी अन्य राशि का कोई भी भाग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में स्थानांतरित कर सकता है–*
	(क)	*एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर, केंद्र शासित प्रदेश कर या सेस; अथवा*
	(ख)	भाग *25* की उप-भाग *(4)* या, जहां लागू हो, उप-भाग *(5)* में निर्दिष्ट भिन्न व्यक्ति के एकीकृत कर या केंद्रीय कर को नियत फॉर्म और विधि में तथा नियत शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन स्थानांतरित किया जा सकता है, और ऐसा स्थानांतरण इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से रिफंड माना जाएगा।
		परंतु, यदि उक्त पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में कोई भी अप्राप्त देनदारी शेष हो, तो खंड (ख) के अंतर्गत ऐसा कोई भी स्थानांतरण अनुमति प्राप्त नहीं होगा।
(11)		*यदि इस अधिनियम के तहत कोई राशि इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में स्थानांतरित की गई है, तो उसे उप-भाग (1) में वर्णित अनुसार उक्त लेजर में जमा किया गया माना जाएगा।*
(12)		*इस अधिनियम में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, सरकार परिषद की सिफारिशों पर, नियत शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन, इस अधिनियम या /जीएसटी अधिनियम, 2017 के अंतर्गत आउटपुट कर देयता के ऐसे अधिकतम अनुपात को निर्दिष्ट कर सकती है जिसे कोई पंजीकृत व्यक्ति या पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के माध्यम से निर्वाह कर सकते हैं, जैसा कि निर्धारित किया जाएगा।*
व्याख्या।–इस भाग के प्रयोजनों के लिए,–		
	(क)	*प्राधिकृत बैंक में सरकार के खाते में क्रेडिट की तिथि को इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में जमा की तिथि माना जाएगा;*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

	(ख)	यह अभिव्यक्ति,–	
		(i)	"कर देय" का अर्थ इस अधिनियम के तहत देय कर से है और इसमें ब्याज, शुल्क एवं दंड शामिल नहीं हैं; तथा
		(ii)	"अन्य देय" का अर्थ इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत देय ब्याज, दण्ड, शुल्क या कोई अन्य राशि से है।
भाग 49 क	**कुछ शर्तों के अधीन इनपुट कर क्रेडिट का उपयोग**		
	भाग 49 में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद, एकीकृत कर के खाते में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किए बिना, केंद्रीय कर, राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के खाते में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग केवल उसी समय किया जाएगा जब एकीकृत कर के खाते में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग पहले पूरी तरह से उक्त भुगतान के लिए किया जा चुका हो।		
भाग 49 ख	**इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का क्रम**		
	इस अध्याय में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद और भाग 49 की उप-भाग (5) के खंड (ई) और खंड (एफ) के प्रावधानों के अधीन, सरकार परिषद की सिफारिशों पर, एकीकृत कर, केंद्रीय कर, राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर के खाते में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का क्रम और विधि निर्धारित कर सकती है, जैसा कि लागू हो, किसी भी ऐसे कर के भुगतान के लिए।		
भाग 53	**इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्थानांतरण**		
	इस अधिनियम के तहत प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग, भाग 49 की उप-भाग (5) के प्रावधानों के अनुसार, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत कर देयताओं के भुगतान के लिए किया गया हो, जैसा कि भाग 39 की उप-भाग (1) के अंतर्गत प्रस्तुत वैध रिटर्न में प्रदर्शित होता है, तो केंद्रीय कर के रूप में एकत्रित राशि उस उपयोग किए गए क्रेडिट की मात्रा के बराबर घटा दी जाएगी और केंद्र सरकार केंद्रीय कर खाते से घटाई गई राशि के बराबर राशि को नियत		

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

	विधि और नियत समय के भीतर एकीकृत कर खाते में स्थानांतरित करेगी।
भाग 53 क	**कुछ राशियों का स्थानांतरण**
	जहाँ इस अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से राज्य वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम या केंद्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के तहत इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में कोई राशि स्थानांतरित की गई हो, वहाँ सरकार नियत विधि और नियत समय के भीतर इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर से स्थानांतरित की गई राशि के बराबर राशि राज्य कर खाते या केंद्र शासित प्रदेश कर खाते में स्थानांतरित करेगी।

विश्लेषण

क. इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता [भाग 49(1), (3), (6), (10) एवं (11) के साथ पढ़ें नियम 87, सीजीएसटी नियम]

इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में करदाता द्वारा किए गए सभी जमा/भुगतान का सारांश होता है। इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता जीएसटी सामान्य पोर्टल पर संधारित किया जाता है।

कर, ब्याज, जुर्माना, विलंब शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए किया गया कोई भी जमा इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में किया गया कोई भी डेबिट उससे कर, ब्याज, जुर्माना, विलंब शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान का प्रतिनिधित्व करता है।

इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में जमा निम्नलिखित किसी भी माध्यम से किया जाएगा, अर्थात्–

(i) अधिकृत बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग;

(ii) किसी भी बैंक से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई);

(iii) किसी भी बैंक से इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज़ (आईएमपीएस);

(iv) अधिकृत बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड;

(v) किसी भी बैंक से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस);

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(vi) अधिकृत बैंकों के माध्यम से काउंटर पर भुगतान, प्रति कर अवधि प्रति चालान दस हजार रुपये तक के जमा के लिए, नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा:

ध्यान दें कि काउंटर पर भुगतान के मामले में प्रति चालान दस हजार रुपये तक की सीमा निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी–

(क) सरकारी विभाग या ऐसे अन्य व्यक्ति जिनके द्वारा जमा करना अधीक्षक द्वारा इस संबंध में अधिसूचित किया गया हो;

(ख) प्राधिकारी अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे किसी भी व्यक्ति से बकाया राशि वसूलने का अधिकार प्राप्त हो, चाहे वह पंजीकृत हो या नहीं, जिसमें चल या अचल संपत्तियों की नीलामी या जप्ती के माध्यम से वसूली भी शामिल है;

(ग) प्राधिकारी अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे किसी जांच या प्रवर्तन गतिविधि के दौरान नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से एकत्र की गई राशि या किसी आकस्मिक जमा के लिए अधिकृत किया गया हो।

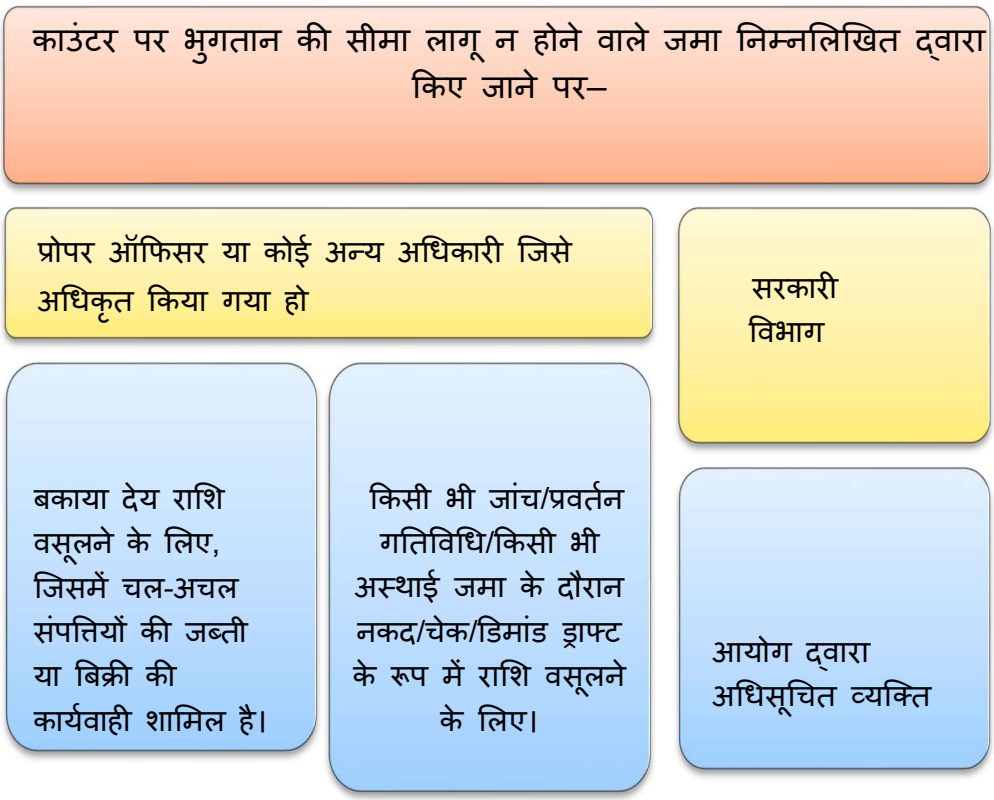

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

चालान के द्वारा भुगतान

❑ सीपीआईएन, सीआईएन, बीआरएन और ई-एफपीबी क्या हैं?

सीपीआईएन का पूर्ण रूप कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। इसे प्रत्येक सफलतापूर्वक जनरेट किए गए चालान के लिए बनाया जाता है। यह चालान की पहचान हेतु 14-अंकों का एक विशिष्ट नंबर होता है। सीपीआईएन की वैधता अवधि 15 दिनों की होती है।

सीआईएन या चालान पहचान संख्या बैंक द्वारा उत्पन्न की जाती है, जब उत्पन्न चालान के बदले भुगतान सफलतापूर्वक हो जाता है। यह 17-अंकों की संख्या होती है, जिसमें 14-अंकों का सीपीआईएन और 3-अंकों का बैंक कोड सम्मिलित होता है।

सीआईएन अधिकृत बैंक/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जब भुगतान वास्तविक रूप से ऐसे अधिकृत बैंक या आरबीआई के द्वारा प्राप्त होकर संबंधित सरकारी खाते में जमा हो जाता है। यह इस बात का संकेत होता है कि भुगतान प्राप्त कर लिया गया है और उपयुक्त सरकारी खाते में जमा कर दिया गया है। सीआईएन अधिकृत बैंक द्वारा करदाता तथा जीएसटीएन को सूचित किया जाता है।

बीआरएन या बैंक संदर्भ संख्या वह लेन-देन संख्या होती है जो बैंक द्वारा चालान के भुगतान के लिए दी जाती है।

ई-एफपीबी का पूर्ण रूप इलेक्ट्रॉनिक फोकल पॉइंट शाखा होता है। ये अधिकृत बैंकों की वे शाखाएँ होती हैं जिन्हें जीएसटी के भुगतान एकत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है। प्रत्येक अधिकृत बैंक केवल एक शाखा को पूरे भारत में लेन-देन के लिए अपनी ई-एफपीबी के रूप में नामित करेगा।

ई-एफपीबी को सभी सरकारों के प्रत्येक प्रमुख शीर्षक के अंतर्गत खाते खोलने होंगे। ऐसी किसी भी ई-एफपीबी द्वारा प्राप्त जीएसटी की राशि उपयुक्त खाते में जमा की जाएगी जो उस ई-एफपीबी के पास होता है। एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस लेन-देन के लिए, आरबीआई ई-एफपीबी के रूप में कार्य करेगा।

❑ क्या पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थाओं के अंतर्गत अनुमति प्राप्त मैनुअल चालान लागू होंगे?

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत मैनुअल या भौतिक चालान की अनुमति नहीं है। जीएसटी कॉमन पोर्टल पर ऑनलाइन चालान जनरेट करना अनिवार्य है।

❑ जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न करों और भुगतान के लिए कितने प्रकार के चालान निर्धारित हैं?

जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत सभी करों, शुल्कों, दंडों, ब्याज एवं अन्य भुगतानों के लिए एक ही प्रकार का चालान निर्धारित है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

चालान से संबंधित अन्य पहलू

- कोई भी व्यक्ति, अथवा उसकी ओर से कोई व्यक्ति, सामान्य पोर्टल पर निर्धारित फॉर्म [फॉर्म पीएमटी 06] में चालान जनरेट कर सकता है और कर, ब्याज, दंड, शुल्क या किसी अन्य राशि के रूप में जमा की जाने वाली राशि का विवरण दर्ज कर सकता है।
- ई-चालान की वैधता अवधि 15 दिनों की होती है। ई-चालान के माध्यम से भुगतान करने पर लगने वाला कमीशन भुगतान करने वाले व्यक्ति को वहन करना होता है।
- एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस भुगतान के पश्चात प्राप्त मेन्डेट फॉर्म बैंक में जमा करना अनिवार्य है। मेन्डेट फॉर्म की वैधता अवधि 15 दिनों की होती है।

चालान की वैधता - 15 दिन

- अधिकृत बैंक में रखे गए संबंधित (केंद्रीय/राज्य) सरकारी खाते में राशि सफलतापूर्वक जमा होने पर, राशि संग्रहित करने वाले बैंक द्वारा एक चालान पहचान संख्या (सीआईएन) उत्पन्न की जाएगी जो चालान में दर्शाई जाएगी।
- राशि संग्रहित करने वाले बैंक से सीआईएन प्राप्त होने पर, उक्त राशि उस व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में जमा कर दी जाती है जिसकी ओर से भुगतान किया गया है तथा सामान्य पोर्टल इस संबंध में रसीद उत्पन्न करेगा।

  यदि भुगतान करने और मेन्डेट फॉर्म जमा करने के बावजूद सीआईएन उत्पन्न नहीं हुआ है, या उत्पन्न होने के बाद वह सामान्य पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं हुआ है, तो राशि जमा करने वाला व्यक्ति अथवा जिसकी ओर से राशि जमा की गई है, वह निर्धारित फॉर्म अर्थात फॉर्म जीएसटी पीएमटी-07 के माध्यम से सामान्य पोर्टल या उस ई-गेटवे के माध्यम से जिससे भुगतान किया गया है, प्रतिनिधित्व प्रस्तुत कर सकता है।
- जहाँ बैंक चालान पहचान संख्या (सीआईएन) का विवरण सामान्य पोर्टल को सूचित करने में विफल रहता है, वहाँ आरबीआई के ई-स्क्रॉल के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर को अपडेट किया जा सकता है यदि उक्त ई-स्क्रॉल का विवरण सामान्य पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी पीएमटी -06 में जनरेट किए गए चालान के विवरण के अनुरूप हो।
- राज्य सरकार/केंद्र सरकार के कोषागार में राशि जमा होने की तिथि को इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में डेबिट की तिथि माना जाएगा, न कि करदाताओं के इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में राशि जमा करने की वास्तविक तिथि।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

- भाग 51 [टीडीएस] के तहत किसी भी राशि की कटौती या भाग 52 [टीसीएस] के तहत किसी भी राशि की वसूली, जिसे पंजीकृत करदाताओं से काटा या वसूला गया हो, उस करदाता के इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में जमा किया जाएगा।
- यदि इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में कोई विसंगति पाई जाती है, तो पंजीकृत व्यक्ति संबंधित क्षेत्राधिकार अधिकारी को निर्धारित फॉर्म के माध्यम से सामान्य पोर्टल पर इसकी सूचना देगा।
- अप्रतिबंधित व्यक्ति को सामान्य पोर्टल पर जनरेट किए गए अस्थायी पहचान संख्या के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर के माध्यम से भुगतान करना होता है।

इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में प्रदर्शित राशि के उपयोग का तरीका

सीजीएसटी अधिनियम की भाग 49 की उप-भाग 3 में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में प्रदर्शित राशि का उपयोग निर्धारित विधि के अनुसार कर, ब्याज, दंड, शुल्क या किसी अन्य राशि के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

ई-लेजर में प्रत्येक प्रमुख शीर्षक के लिए सूचना लघु शीर्षकवार रखी जाती है। लेजर प्रमुख शीर्षकवार प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात् आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी / यूटीजीएसटी, और सेस । प्रत्येक प्रमुख शीर्षक को पाँच लघु शीर्षकों में विभाजित किया गया है: कर, ब्याज, दंड, शुल्क, और अन्य।

पंजीकृत करदाता किसी भी निर्धारित बैंक में, जीएसटी पोर्टल द्वारा अनुमत ऑनलाइन या ऑफलाइन विधियों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर में नकद जमा कर सकता है। यह नकद जमा कर भुगतान जैसे कर देयता, ब्याज, दंड, शुल्क और अन्य के लिए उपयोग किया जा सकता है।

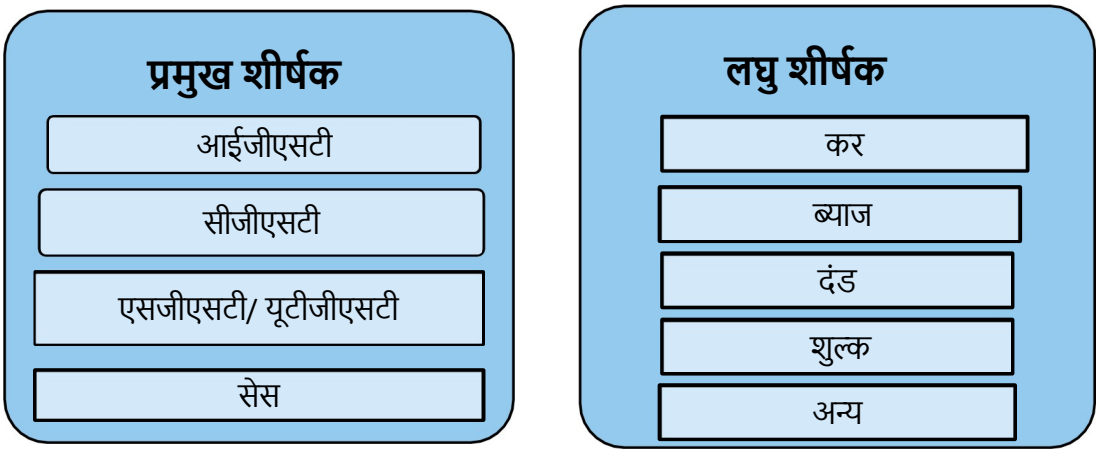

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में परिलक्षित राशि का स्थानांतरण

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की भाग 49 की उप-भाग (10) एवं (11) एक पंजीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता में एक (प्रमुख/अल्प) शीर्षक से दूसरे (प्रमुख/अल्प) शीर्षक में राशि स्थानांतरित करने अथवा इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी भी राशि को भिन्न व्यक्ति के आईजीएसटी/सीजीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में स्थानांतरित करने की सुविधा प्रदान करती है, बशर्ते कि उसके इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में कोई अप्रदत्त देयता न हो।

इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग प्रमुख एवं अल्प शीर्षकों की किसी भी देयता के भुगतान के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि पंजीकृत व्यक्ति ने किसी विशिष्ट शीर्षक की बजाय किसी अन्य शीर्षक के तहत त्रुटिपूर्वक, अर्थात् मानवीय त्रुटि के कारण, कर जमा किया है, तो इसे फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 के माध्यम से संबंधित इच्छित शीर्षक में स्थानांतरित किया जा सकता है।

अतः, एक पंजीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर, इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध कर, ब्याज, दंड, शुल्क या अन्य किसी भी राशि को फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 में भाग 25 की उप-भाग (4) या, जहां लागू हो, उप-भाग (5) में निर्दिष्ट भिन्न व्यक्ति के केंद्रीय कर या एकीकृत कर के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में स्थानांतरित कर सकता है।

हालाँकि, यदि उक्त पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में कोई अप्रदत्त देयता हो तो ऐसा कोई भी स्थानांतरण अनुमति प्राप्त नहीं होगा।

यह फॉर्म निम्नलिखित हेतु उपयोग किया जा सकता है–

(i) किसी प्रमुख शीर्षक के अंतर्गत किसी अल्प शीर्षक के तहत त्रुटिपूर्वक जमा राशि को उसी या अन्य प्रमुख शीर्षक के किसी अन्य अल्प शीर्षक में स्थानांतरित करना, या

(ii) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में किसी भी अल्प शीर्षक के अंतर्गत पहले से उपलब्ध अप्रयुक्त राशि का स्थानांतरण करना, या

(iii) इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध किसी भी राशि को भिन्न व्यक्ति के सीजीएसटी/आईजीएसटी के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में स्थानांतरित करना।

उदाहरण के लिए, यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति ने "शुल्क" शीर्षक की बजाय सीजीएसटी के "ब्याज" कॉलम के तहत ₹ 1,000 तथा एसजीएसटी के "ब्याज" कॉलम के तहत ₹ 1,000 जमा किए हैं, तो उक्त राशि को फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 के माध्यम से "शुल्क" शीर्षक में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह स्थानांतरण उपरोक्त फॉर्म पीएमटी-09 के द्वारा आवश्यक है क्योंकि जब पंजीकृत व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते के माध्यम से किसी भी जीएसटी रिटर्न/फॉर्म में "ऑफसेट देयताएँ" के चरण पर कर/ब्याज/दंड/शुल्क/अन्य राशि का भुगतान करना होता है, तब संबंधित खाते के शीर्षक के अंतर्गत पर्याप्त राशि उपलब्ध होनी चाहिए।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की भाग 53ए एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की भाग 17ए, भाग 49 के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच राशि के स्थानांतरण का प्रावधान करती हैं, जो पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में एक शीर्षक से दूसरे शीर्षक में राशि स्थानांतरित करने की अनुमति देती हैं।

उदाहरण 1

एम/एस दक्ष एंटरप्राइजेज ने प्रमुख शीर्ष "एसजीएसटी" के अंतर्गत अल्प शीर्ष "कर" के तहत ₹10,000 की नकद जमा राशि जमा की है। इसकी प्रमुख शीर्ष "एसजीएसटी" के अंतर्गत अल्प शीर्ष "ब्याज" के लिए ₹2,000 की देयता है।

क्या एम/एस. दक्ष एंटरप्राइजेज ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध राशि का उपयोग कर सकता है?

उत्तर

पंजीकृत व्यक्ति को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की भाग 49(10) के अनुसार फॉर्म पीएमटी-09 के माध्यम से किसी प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत किसी भी अल्प शीर्ष में उपलब्ध राशि को उसी या अन्य प्रमुख शीर्ष के किसी भी अल्प शीर्ष में स्थानांतरित करने की अनुमति है।

अतः, दिए गए मामले में, प्रमुख शीर्ष 'एसजीएसटी' के अंतर्गत अल्प शीर्ष 'कर' के तहत उपलब्ध ₹10,000 की राशि को फॉर्म जीएसटी पीएमटी-09 के माध्यम से 'कर' अल्प शीर्ष से 'ब्याज' अल्प शीर्ष में उचित स्थानांतरण प्रविष्टि करने के पश्चात् उसी प्रमुख शीर्ष के अंतर्गत अल्प शीर्ष 'ब्याज' की ₹2,000 की देयता के भुगतान हेतु उपयोग किया जा सकता है।

ख. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाता [भाग 49(2), (4) एवं (5), भाग 49ए, भाग 49बी सह नियम 86, नियम 86ए, नियम 86बी एवं नियम 88ए, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर नियम]

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की भाग 49 की उप-भाग (2) में प्रावधान है कि पंजीकृत व्यक्ति द्वारा स्व-मूल्यांकित इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में जमा किया जाएगा।

रिवर्स चार्ज व्यवस्था के अंतर्गत कर देयता के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अप्रयुक्त रह जाना

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग सीजीएसटी या आईजीएसटी के अंतर्गत आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए किया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि "आउटपुट टैक्स" [भाग 2(18) के अनुसार परिभाषित] किसी करदात्री व्यक्ति के संबंध में उस अधिनियम के तहत कर है जो वह या उसका एजेंट माल और/या सेवा की करयोग्य आपूर्ति पर देय होता है, परंतु इसमें रिवर्स चार्ज आधार पर देय

मासिक रिटर्न में स्व-मूल्यांकित इनपुट टैक्स क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में परिलक्षित होगा। इस खाते में उपलब्ध क्रेडिट का उपयोग केवल कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है, न कि ब्याज, दंड, शुल्क आदि अन्य राशि के लिए।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

कर शामिल नहीं है। अतः, आईटीसी का उपयोग रिवर्स चार्ज व्यवस्था के तहत देय कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता।

आईटीसी के उपयोग का तरीका [भाग 49(5), 49ए, 49बी, नियम 88ए एवं परिपत्र संख्या 98/17/2019 जीएसटी दिनांक 23.04.2019 का संयुक्त अध्ययन] [3]

आउटपुट / इनपुट	आईजीएसटी	सीजीएसटी	एसजीएसटी / यूटीजीएसटी
आईजीएसटी	(1)	(2) [संदर्भ करें1(i)]	(2) [संदर्भ करें1(i)]
सीजीएसटी	(2) [संदर्भ करें 2 & 3(i)]	(1) [संदर्भ करें 2 & 3]	अनुमति नहीं है
एसजीएसटी / यूटीजीएसटी	(2) [संदर्भ करें 2 & 4(i)]	अनुमति नहीं है	(1) [संदर्भ करें 2 & 4]

1. क्रेडिट खाता में उपलब्ध आईजीएसटी क्रेडिट का प्रथम उपयोग आईजीएसटी के भुगतान के लिए किया जाना चाहिए।

   शेष शेष राशि, यदि कोई हो, तो उसे किसी भी क्रम में और किसी भी अनुपात में सीजीएसटी तथा एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग किया जा सकता है, अर्थात् आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट सीजीएसटी या एसजीएसटी के विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है।

2. आईजीएसटी का सम्पूर्ण इनपुट टैक्स क्रेडिट पूर्णतः उपयोग किया जाना चाहिए, उसके बाद ही सीजीएसटी या एसजीएसटी/यूटीजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपयोग किया जा सकता है।

3. क्रेडिट खाते में उपलब्ध सीजीएसटी क्रेडिट का प्रथम उपयोग सीजीएसटी के भुगतान के लिए किया जाएगा।

   शेष शेष राशि, यदि कोई हो, तो आईजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग की जाएगी।

4. क्रेडिट खाते में उपलब्ध एसजीएसटी/यूटीजीएसटी क्रेडिट का प्रथम उपयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए किया जाएगा।

   शेष शेष राशि, यदि कोई हो, तो आईजीएसटी के भुगतान के लिए उपयोग की जाएगी, केवल तब जब आईजीएसटी के भुगतान के लिए सीजीएसटी का क्रेडिट उपलब्ध न हो।

सीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार, एसजीएसटी/यूटीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता।

[3] *विस्तृत प्रावधान पहले ही अध्याय-8: "इनपुट टैक्स क्रेडिट" में चर्चा किए जा चुके हैं।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में उपलब्ध राशि के उपयोग की शर्तें [नियम 86ए]

यदि आयुक्त या इस संबंध में उसके द्वारा नामित अधिकारी, जो सहायक आयुक्त के पद से नीचे न हो, के पास यह कारण हो कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया है या अनुपात्र है, तो वह लिखित में कारण रिकॉर्ड करने के बाद भाग *49 के अंतर्गत किसी भी देयता के निर्वहन के लिए या किसी अप्रयुक्त राशि की किसी भी वापसी के दावा के लिए आईटीसी के उपयोग पर रोक लगा सकता है।*

[ऐसे प्रावधानों पर पहले ही अध्याय 8: इनपुट टैक्स क्रेडिट में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।]

जीएसटी ई-लेजर ढांचा

इलेक्ट्रॉनिक नकद लेजर
कर भुगतान के लिए नकद शेष का प्रबंधन करता है

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर
आउटपुट कर देयता के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट को दर्ज करता है

इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर

भुगतान के लिए कर देयताओं का ट्रैक रखता है

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में उपलब्ध राशि के उपयोग पर प्रतिबंध [नियम 86बी]

नियम 86बी के अनुसार, यदि किसी माह में मुक्त आपूर्ति और शून्य-रेटेड आपूर्ति को छोड़कर करयोग्य आपूर्ति का मूल्य ₹50 लाख से अधिक हो, तो पंजीकृत व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग अपनी आउटपुट टैक्स देयता के भुगतान के लिए अधिकतम 99% तक ही कर सकता है। [ऐसे प्रावधानों पर पहले ही अध्याय 8: इनपुट टैक्स क्रेडिट में विस्तार से चर्चा की जा चुकी है।]

---

[4] *रिफंड का अर्थ है कोई भी अधिशेष जीएसटी वापस प्राप्त करना। यह मुख्यतः निर्यात, अप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट या गलती से अधिक कर भुगतान आदि के कारण होता है। विस्तृत प्रावधान* भाग *54 एवं संबंधित नियमों के साथ सम्मिलित रूप से हैं, जिनपर अंतिम स्तर पर चर्चा की जाएगी।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते के अन्य पहलू

- यदि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में कोई विसंगति पाई जाती है, तो पंजीकृत व्यक्ति संबंधित प्राधिकारी को सामान्य पोर्टल के माध्यम से निर्दिष्ट फॉर्म में इसकी सूचना देगा।
- किसी भी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में सीधे कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, सिवाय उन मामलों के जो प्रावधानों में निर्दिष्ट हैं।

इलेक्ट्रॉनिक नकद और क्रेडिट खाते के सामान्य बिंदु

- यदि किसी व्यक्ति ने इलेक्ट्रॉनिक नकद या क्रेडिट खाते से किसी भी राशि का रिफंड दावा किया है, तो उक्त राशि को इलेक्ट्रॉनिक नकद या क्रेडिट खाते से डेबिट किया जाएगा।
- यदि दावा किया गया रिफंड पूर्णतः या आंशिक रूप से अस्वीकृत कर दिया जाता है, तो अस्वीकृति की सीमा तक पूर्व में डेबिट की गई राशि को उचित अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट फॉर्म में आदेश जारी कर इलेक्ट्रॉनिक नकद या क्रेडिट खाते में क्रेडिट किया जाएगा।
- इलेक्ट्रॉनिक नकद या क्रेडिट खाते में प्रत्येक डेबिट या क्रेडिट के लिए सामान्य पोर्टल पर एक अनूठा पहचान संख्या उत्पन्न की जाएगी।
- इसी प्रकार, किसी भी देयता के निर्वहन से संबंधित अनूठी पहचान संख्या इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में संबंधित प्रविष्टि में अंकित की जाएगी।

कर तथा अन्य देयताओं के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते और इलेक्ट्रॉनिक नकद खाते में उपलब्ध राशियों के उपयोग के संबंध में स्पष्टीकरण [5]:–

मुद्दा 1:

क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग जीएसटी कानूनों के तहत किसी भी कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण:

भाग 49(4) के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट खाते में उपलब्ध राशि का उपयोग सीजीएसटी अधिनियम या आईजीएसटी अधिनियम के तहत आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि आईटीसी के उपयोग के क्रम से संबंधित प्रावधान, जो भाग 49बी के साथ नियम 88ए में वर्णित हैं, का पालन किया जाए।

---

[5] परिपत्र संख्या 172/04/2022 जीएसटी दिनांक 06.07.2022 के अनुसार

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

नियम 86(2) के अनुसार, भाग 49/49ए/49बी के प्रावधानों के अनुसार किसी देयता की पूर्ति की सीमा तक इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से राशि डेबिट की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, किसी करयोग्य व्यक्ति (अर्थात् वह व्यक्ति जो भाग 22 या भाग 24 के अंतर्गत पंजीकृत है या पंजीकरण के लिए बाध्य है) के संदर्भ में आउटपुट टैक्स की परिभाषा भाग 2(82) में की गई है, जिसके अनुसार यह कर योग्य आपूर्ति पर देय कर है जो वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है, किंतु रिवर्स चार्ज प्रणाली के अंतर्गत देय कर को इसमें शामिल नहीं किया जाता।

उक्त के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आउटपुट टैक्स की कोई भी भुगतान राशि, चाहे वह रिटर्न में स्वयं-मूल्यांकन के रूप में हो या जीएसटी विधियों के अंतर्गत प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप देय हो, पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग करके किया जा सकता है।

यह पुनः पुनः स्पष्ट किया जाता है कि चूँकि आउटपुट टैक्स में रिवर्स चार्ज प्रणाली के अंतर्गत देय कर शामिल नहीं होता, अतः इसका तात्पर्य यह है कि रिवर्स चार्ज प्रणाली के अंतर्गत देय किसी भी कर के भुगतान के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का उपयोग नहीं किया जा सकता।

मुद्दा 2 :

प्रश्न यह है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग जीएसटी विधियों के अंतर्गत कर के अतिरिक्त किसी अन्य देयता के भुगतान के लिए किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण :

भाग 49(4) के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का उपयोग केवल सीजीएसटी अधिनियम या आईजीएसटी अधिनियम के तहत आउटपुट टैक्स के भुगतान के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग उक्त अधिनियमों के तहत देय किसी भी ब्याज, दंड, शुल्क या अन्य किसी राशि के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता।

मुद्दा 3 :

प्रश्न यह है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग जीएसटी विधियों के अंतर्गत किसी भी देयता के भुगतान के लिए किया जा सकता है?

स्पष्टीकरण :

भाग 49(3) के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग जीएसटी विधियों के प्रावधानों के तहत देय कर, ब्याज, दंड, शुल्क या अन्य किसी भी राशि के भुगतान के लिए किया जा सकता है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

ग. इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर [धारा 49(7), (8) एवं (9) के साथ नियम 85, सीजीएसटी नियमों के अनुसार]

भाग 49 की उप-भाग (7) में तीसरे प्रकार के लेजर [सामान्य पोर्टल पर स्वचालित रूप से अद्यतन] अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर के बारे में वर्णित है। जहाँ "इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर" और "इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर" की परिभाषा अधिनियम में दी गई है, वहीं "इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर" शब्द की परिभाषा नहीं है। यह भाग यह निर्देश देती है कि करयोग्य व्यक्ति की सभी देयताओं को एक पृथक रजिस्टर में रिकॉर्ड एवं संधारित किया जाएगा, जिसे 'इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर' नाम दिया गया है।

❑ कर और अन्य देयों के निपटान का क्रम

उप-भाग (8) में करयोग्य व्यक्ति की देयता को निपटाने के लिए क्रमबद्ध कालानुक्रमिक क्रम निर्धारित किया गया है:

इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में करदाता की किसी विशेष कर अवधि के लिए कुल कर देयता दर्शायी जाएगी।

- ✓ पिछली कर अवधियों के लिए स्वयं-अंकित कर और अन्य देयताएँ पहले निपटानी होंगी।
- ✓ वर्तमान कर अवधि के लिए स्वयं-अंकित कर और अन्य देयताएँ इसके बाद निपटानी होंगी।
- ✓ जब ये दोनों चरण पूर्ण हो जाएँ, **तब इसके बाद भाग 73, भाग 74 या भाग 74ए**[6] के तहत निर्धारित मांग सहित अन्य कोई भी देय राशि निपटानी होगी। अर्थात्, मांग सूचना और निर्णय कार्यवाही से उत्पन्न कोई भी देयता अंतिम में निपटाई जाएगी। इस क्रम का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त उल्लिखित "अन्य देयताएँ" का अभिप्राय अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत देय ब्याज, दंड, शुल्क या अन्य किसी भी राशि से है।

---

[6] ***भाग 74ए के प्रावधान वित्तीय वर्ष 2024-25 से संबंधित किसी भी कारणवश कर न दिए जाने/कम दिए जाने, गलत तरीके से वापसी किए जाने या इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के गलत तरीके से प्राप्त या उपयोग किए जाने के निर्धारण से संबंधित हैं। भाग 74ए के विस्तृत प्रावधान अंतिम स्तर पर चर्चा किए जाएंगे। भाग 73 और 74 के प्रावधान पूर्व अवधि तक के कर निर्धारण के लिए लागू हैं, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 तक सीमित हैं।***

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

❑ कर भार दूसरे को स्थानांतरित हो जाने की प्रस्तुति (पूर्वानुमान)

भाग 49 की उप-भाग (9) में एक मान्यता संबंधी प्रविधान (डिमिंग क्लॉज) निहित है। इस भाग में यह प्रावधान है कि जब कोई करयोग्य व्यक्ति संबंधित अधिनियम के तहत जीएसटी का भुगतान करता है, तो उसे यह माना जाता है कि उसने उस कर भुगतान का भार उस वस्तु और/या सेवा के प्राप्तकर्ता पर स्थानांतरित कर दिया है। अतः यदि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत कर का भुगतान किया गया है, तो करयोग्य व्यक्ति को यह माना जाएगा कि उसने सीजीएसटी के भुगतान का भार प्राप्तकर्ता को स्थानांतरित कर दिया है।

❑ सीजीएसटी नियमों के अध्याय IX में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

(I) इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में डेबिट:

- रिटर्न में दर्शाए गए अनुसार कर, ब्याज, विलंब शुल्क और अन्य किसी भी देय राशि का भुगतान;
- किसी उचित अधिकारी द्वारा कार्यवाही में निर्धारित या उक्त व्यक्ति द्वारा सत्यापित कर, ब्याज, दंड और अन्य किसी भी देय राशि का भुगतान;
- समय-समय पर उत्पन्न होने वाली कोई भी ब्याज राशि।

(II) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट/कैश लेजर में डेबिट:

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट एवं इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में क्रेडिट	इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट एवं इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में क्रेडिट
भाग 49 या भाग 49ए या भाग 49बी के अधीन, रिटर्न के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति की सभी देयताओं का भुगतान।	भाग 49, भाग 49ए या भाग 49बी के अधीन, रिटर्न के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति की सभी देयताओं का भुगतान।
	भाग 51 के तहत कटौती गई टीडीएस, भाग 52 के तहत ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा काटा गया टीसीएस, रिवर्स चार्ज आधार पर देय राशि, भाग 10 के तहत देय राशि, तथा अधिनियम के तहत ब्याज, दंड, शुल्क या अन्य किसी भी राशि का भुगतान।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

❑ **भुगतान प्रणाली से करदाता और वाणिज्यिक कर विभाग को क्या लाभ होते हैं?**

- ✓ भुगतान के लिए लंबी कतारें और प्रतीक्षा समाप्त हो जाती है क्योंकि भुगतान ऑनलाइन 24x7 किया जा सकता है।
- ✓ ऑनलाइन किए गए भुगतान के लिए तत्काल ऑनलाइन रसीद प्राप्त होती है।
- ✓ टैक्स कंसल्टेंट्स अपने ग्राहकों की ओर से भुगतान कर सकते हैं।
- ✓ तीन या चार प्रति वाले चालान के स्थान पर एकल चालान फॉर्म ऑनलाइन बनाया जा सकता है।
- ✓ पुरानी प्रणाली की तुलना में राजस्व सरकार के कोषागार में जल्दी जमा होगा।
- ✓ अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
- ✓ रात 8 बजे के बाद किए गए ऑनलाइन भुगतान भी उसी दिन करदाता के खाते में क्रेडिट कर दिए जाएंगे।

4. कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज [भाग 50]

	वैधानिक प्रावधान
भाग **50**	**कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज**
उप- भाग	**विवरण**
(1)	*जो कोई भी व्यक्ति इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर भुगतान के लिए बाध्य है, लेकिन निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, वह उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसका कोई भाग अनपयोगित रहता है, स्वयं ही उस दर से ब्याज देगा, जो अठारह प्रतिशत से अधिक नहीं होगी और जिसे परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाता है।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

	शर्त यह है कि किसी कर अवधि के दौरान की गई आपूर्ति के संबंध में देय कर पर ब्याज, जो उक्त अवधि के लिए प्रस्तुत रिटर्न में भाग *39 के प्रावधानों के अनुसार नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किया गया हो, उस कर भाग पर लगाया जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट कर भुगतान किया गया हो, सिवाय इसके कि ऐसा रिटर्न उस अवधि के संबंध में* भाग *73,* भाग *74 या* ***भाग 74ए*** *के तहत किसी कार्यवाही के प्रारंभ के बाद प्रस्तुत किया गया हो।*
(2)	*उप-*भाग *(1) के तहत ब्याज उस दिन से, जो कर के भुगतान की नियत तारीख के अगले दिन होता है, निर्धारित विधि के अनुसार गणना की जाएगी।*
(3)	*जहाँ इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ लिया गया और उपयोग किया गया हो, पंजीकृत व्यक्ति उस गलत तरीके से प्राप्त और उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट पर ऐसी दर से ब्याज देगा, जो 24% से अधिक नहीं होगी और जिसे परिषद की सिफारिश पर सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। ब्याज की गणना निर्धारित विधि के अनुसार की जाएगी।*

विश्लेषण

करदाता में अधिक अनुशासन और समयबद्ध कर भुगतान को प्रोत्साहित करने के लिए, निर्धारित अवधि के भीतर न चुकाए गए कर दायित्वों पर ब्याज लगाई जाती है। यह प्रणाली किसी भी कर कानून के अंतर्गत निहित प्रावधानों के अनुसार स्वचालित रूप से लागू होती है। उस करदाता पर ब्याज दायित्व लगाया जाता है जिसने देय कर का भुगतान नियत समय पर नहीं किया। मूलतः यह व्याज मुआवजे के स्वरूप का होता है और दंड से पूर्णतः भिन्न होता है, जो दंडात्मक स्वभाव का होता है।

इसी प्रकार, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 50 में निर्धारित समय सीमा के भीतर कर भुगतान में चूक पर ब्याज लगाने का प्रावधान है। जीएसटी कानून के तहत, पंजीकृत व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 49 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से कर का भुगतान कर सकता है। सामान्यतः, बेहतर कार्यशील पूंजी प्रबंधन के लिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध शेष राशि पहले (नियम 86बी के प्रावधानों के अधीन) पूरी तरह उपयोग की जाती है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की शेष राशि का उपयोग किया जाता है।

यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में किसी विशेष कर अवधि के लिए कर देय राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है और साथ ही उस पंजीकृत व्यक्ति के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में भी शेष कर राशि का जमा करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जीएसटी सामान्य पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति को करों का आंशिक भुगतान करने की सुविधा नहीं दी जाती है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

यदि किसी व्यक्ति के पास इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शेष कर राशि जमा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जीएसटी सामान्य पोर्टल पर पंजीकृत व्यक्ति को कर का आंशिक भुगतान करने की सुविधा नहीं है।

यदि कानून निर्माता कर देयताओं के साथ सकल भुगतान पर ब्याज की माँग करता है, अर्थात् कर जो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और क्रेडिट लेजर दोनों के माध्यम से भुगतान किया गया हो, तो यह व्यवसायिक दृष्टिकोण से एक अस्वस्थ प्रथा हो सकती है। ऐसे वसूली तंत्र का प्रतिकार करने के लिए, भाग 50 के अंतर्गत प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि जब कोई पंजीकृत व्यक्ति सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 39 के तहत निर्दिष्ट रिटर्न के माध्यम से अपने कर का विलंबित भुगतान करता है, तो ब्याज केवल उस कर अवधि के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से भुगतान किए गए नेट कर पर ही लागू होगा, न कि सकल कर पर।

उक्त प्रावधान के अनुसार, उन मामलों में जहाँ कर रिटर्न नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किया गया हो (लेकिन भाग 73, भाग 74 **या भाग 74ए** के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ होने से पहले प्रस्तुत किया गया हो), ब्याज उस आउटपुट कर के उस भाग पर लगाया जाएगा जिसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके भुगतान किया जा रहा हो। इसका अर्थ यह है कि उस आउटपुट कर देयता के उस भाग पर ब्याज का दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, जिसे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में उपलब्ध आईटीसीका उपयोग करके भुगतान किया गया हो।

तदनुसार, यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति भाग 39 के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने में विलंब के कारण नियत समयसीमा के बाद करों के भुगतान में देरी करता है, तो उसके द्वारा देय ब्याज केवल नेट नकद कर देयता पर ही माँगा जाएगा, न कि सकल कर देयता पर।

❑ ब्याज कब देय है?

ब्याज उस स्थिति में देय होता है जब कर का भुगतान, पूर्ण या आंशिक रूप से, निर्धारित अवधि में न किया जाए।

❑ ब्याज की दर

ब्याज की दर काउंसिल की सिफारिश के आधार पर सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएगी। हालांकि, विलंबित कर भुगतान के मामलों में, अर्थात् सरकार के खाते में कर (या कर का भाग) न जमा करने की स्थिति में तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट[7] के गलत तरीके से लाभ उठाने और उपयोग करने के मामलों में, अधिसूचित ब्याज की दर 18% **से अधिक नहीं होगी।**

---

[7] *सूचना संख्या* 13/2017-*सीटी दिनांक* 28.06.2017 *के माध्यम से ब्याज की दर प्रतिवर्ष* 18% *के रूप में अधिसूचित की गई है।*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

❑ **ब्याज की गणना के लिए अवधि का निर्धारण**

सामान्यतः, ब्याज की अवधि भुगतान की नियत तिथि के अगले दिन से कर के वास्तविक भुगतान की तिथि तक होगी।

❑ **कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज की गणना का तरीका [नियम 88बी]**

यदि किसी कर अवधि के दौरान किए गए सप्लाईज़ को पंजीकृत व्यक्ति उस अवधि के रिटर्न में घोषित करता है और उक्त रिटर्न भाग 39 के प्रावधानों के अनुसार नियत तिथि के बाद प्रस्तुत किया जाता है, सिवाय इसके कि रिटर्न भाग 73, भाग 74 ***या भाग 74ए*** के तहत किसी कार्यवाही के आरंभ होने के बाद प्रस्तुत किया गया हो, तो ऐसे सप्लाईज़ के कर पर देय ब्याज केवल उस कर के भाग पर लगाया जाएगा जिसे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से डेबिट करके भुगतान किया गया हो, और ब्याज की दर भाग 50(1) के तहत अधिसूचित दर के अनुसार होगी, रिटर्न की नियत तिथि से विलंब की अवधि के लिए।

यदि कोई राशि भाग 49(1) के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में रिटर्न की नियत तिथि या उससे पहले क्रेडिट की गई है, लेकिन रिटर्न नियत तिथि के बाद प्रस्तुत करने पर कर के भुगतान के लिए उस लेजर से डेबिट की जाती है, तो इस राशि को ऐसे ब्याज की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा, यदि उक्त राशि रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि तक लेजर में मौजूद है।

अन्य सभी मामलों में, जहाँ भाग 50(1) के अंतर्गत ब्याज देय है, ब्याज उस कर राशि पर लगाया जाएगा जो अवैतनिक है, अवधि उस तिथि से शुरू होगी जिस दिन कर देय था और उस दिन तक चलेगी जब तक कर का भुगतान नहीं हो जाता, और दर भाग 50(1) के तहत निर्दिष्ट दर के अनुसार होगी।

यदि भाग 50(3) के अनुसार गलत तरीके से लिया और उपयोग किया गया आईटीसीपर ब्याज देय है, तो ब्याज उस गलत तरीके से लिए और उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि पर लगाया जाएगा, अवधि उस दिन से शुरू होगी जिस दिन गलत तरीके से लिया गया आईटीसीउपयोग में लाया गया और तब तक चलेगी जब तक उस क्रेडिट को रिवर्स न किया जाए या उस राशि के संबंध में कर का भुगतान न किया जाए, और दर भाग 50(3) के तहत निर्दिष्ट दर के अनुसार होगी।

नियम की व्याख्या में यह निर्धारित है कि:-

(i) गलत तरीके से लिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट तब उपयोग में माना जाएगा जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि उस आईटीसीकी राशि से कम हो जाए जो गलत तरीके से लिया गया था, और इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऐसे उपयोग की सीमा उस राशि के बराबर होगी जिससे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि गलत तरीके से लिए गए आईटीसीसे कम हो गई हो।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(ii) ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग की तिथि को निम्नानुसार माना जाएगा-

(क) यदि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि गलत तरीके से लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से कम हो जाती है, और यह उक्त रिटर्न के माध्यम से कर के भुगतान के कारण हुआ है, तो उपयोग की तिथि वह होगी जिस दिन रिटर्न भाग 39 के अंतर्गत प्रस्तुत करने के लिए देय है या वास्तविक रिटर्न प्रस्तुत करने की तिथि, जो भी पहले हो; या

(a) अन्य सभी मामलों में, जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में शेष राशि गलत तरीके से लिए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि से कम हो जाती है, तब उपयोग की तिथि वह होगी जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में डेबिट किया गया।

❑ ब्याज से संबंधित अन्य प्रासंगिक बिंदु

- ✓ यहाँ "कर" का अर्थ है अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार देय कर।
- ✓ विलंबित कर भुगतान के मामले में ब्याज का भुगतान स्वेच्छा से किया जाना चाहिए, अर्थात् मांग किए बिना भी।
- ✓ इस भाग के तहत देय ब्याज को इलेक्ट्रॉनिक देयता रजिस्टर में डेबिट किया जाएगा।
- ✓ ब्याज की देयता को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में शेष राशि से समायोजित करके निपटाया जा सकता है, **लेकिन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की शेष राशि से नहीं।**

भाग 50(3) के तहत आईजीएसटी क्रेडिट के गलत लाभ उठाने और उसके[8] रिवर्सल के मामलों में ब्याज लगाने पर स्पष्टीकरण

उठाए गए मुद्दे यह हैं कि:

(i) यदि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा आईजीएसटी क्रेडिट का गलत लाभ उठाया गया और उसे रिवर्स किया गया, तो रूल 88बी के तहत ब्याज की गणना के लिए क्या केवल आईजीएसटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में उपलब्ध आईटीसीका शेष माना जाएगा, या आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत ईसीएल में उपलब्ध कुल आईटीसीको एक साथ माना जाएगा।

चूंकि ईसीएल में किसी भी हेड (आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी) के तहत उपलब्ध आईटीसीका उपयोग आईजीएसटी की देयता का भुगतान करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए रूल 88बी के तहत ब्याज की गणना और यह निर्धारित करने के लिए कि ईसीएल में शेष राशि गलत तरीके से लिए गए आईजीएसटी आईटीसीकी राशि से कम हो गई है या नहीं, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत ईसीएल में उपलब्ध कुल आईटीसीको एक साथ माना जाना चाहिए।

---

[8] सर्कुलर संख्या *192/04/2023*-जीएसटी, दिनांक *17.07.2023*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

यह निर्धारित करेगा कि ईसीएल में शेष राशि गलत तरीके से लिए गए आईजीएसटी क्रेडिट की राशि से किस हद तक कम हुई है और ब्याज की गणना इसी आधार पर की जाएगी।

अतः, उन मामलों में जहाँ आईजीएसटी क्रेडिट को गलत तरीके से लिया गया और बाद में किसी निश्चित तिथि पर रिवर्स किया गया, भाग 50(3) के तहत कोई ब्याज देय नहीं होगा, यदि उस समय अवधि के दौरान जो गलत तरीके से आईटीसीलेने की तिथि से लेकर रिवर्सल की तिथि तक है, ईसीएल में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत कुल आईटीसीकी शेष राशि कभी भी गलत तरीके से लिए गए आईटीसीकी राशि से कम नहीं हुई, भले ही ईसीएल में आईजीएसटी क्रेडिट की व्यक्तिगत शेष राशि कभी-कभी उस गलत तरीके से लिए गए आईजीएसटी क्रेडिट की राशि से कम हो जाए।

हालांकि, जब ईसीएल में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत कुल आईटीसीकी शेष राशि उस गलत तरीके से लिए गए आईजीएसटी क्रेडिट की राशि से कम हो जाती है, तो इसे गलत तरीके से लिए गए आईजीएसटी क्रेडिट के उपयोग के रूप में माना जाएगा। इस उपयोग की सीमा उस सीमा के बराबर होगी जिस तक ईसीएल में आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के तहत कुल शेष राशि उस गलत तरीके से लिए गए आईजीएसटी क्रेडिट की राशि से कम हुई। इस स्थिति में भाग 50(3) के साथ-साथ आईजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 20 और रूल 88बी(3) के अनुसार ब्याज लागू होगा।

(ii) क्या ईसीएल में उपलब्ध मुआवजा शुल्क का क्रेडिट गलत तरीके से लिया और उपयोग किया गया आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी क्रेडिट के संबंध में रूल 88 बी(3) के तहत ब्याज की गणना के लिए ईसीएल की शेष राशि में शामिल किया जाएगा?

चूंकि मुआवजा शुल्क के आईटीसीका उपयोग केवल मुआवजा शुल्क के भुगतान के लिए ही किया जा सकता है, अतः मुआवजा शुल्क का क्रेडिट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी हेड के तहत किसी भी कर के भुगतान या उक्त हेड के तहत क्रेडिट के रिवर्सल के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, ईसीएल में उपलब्ध मुआवजा शुल्क का क्रेडिट को गलत तरीके से लिया और उपयोग किया गया आईजीएसटी, सीजीएसटी या एसजीएसटी क्रेडिट के संबंध में रूल 88बी(3) के तहत ब्याज की गणना के लिए ईसीएल की शेष राशि में शामिल नहीं किया जाएगा।

उदाहरण 2

श्री अलोक, जो करयोग्य वस्तुओं के एक पंजीकृत आपूर्तिकर्ता हैं, ने जनवरी 2024 *माह के लिए जीएसटीआर-3बी दिनांक* 15 *अप्रैल* 2024 *को दायर किया। उक्त जीएसटीआर-3बी दायर करने की नियत तिथि* 20 *फरवरी* 2024 *थी। संबंधित माह के दौरान की गई आपूर्तियों पर नकद रूप में (अर्थात् इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से) देय नेट जीएसटी की राशि* ₹36,500 *थी, जिसका भुगतान* 15 *अप्रैल* 2024 *को किया गया। संक्षेप में संबंधित प्रावधानों की व्याख्या करें तथा सीजीएसटी अधिनियम,* 2017 *के अंतर्गत श्री अलोक द्वारा देय ब्याज की राशि की गणना करें। (यदि इस मामले में लागू हो तो लीप वर्ष के प्रभाव की उपेक्षा करें।)*

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

उत्तर

कर के विलंबित भुगतान की स्थिति में नियत तिथि के अगले दिन से कर के वास्तविक भुगतान की तिथि तक, कर पर प्रतिवर्ष 18% की दर से ब्याज देय होता है। अतः,

श्री अलोक द्वारा देय ब्याज की राशि निम्नानुसार होगी -

विलंब की अवधि = 21 फरवरी 2024 से 15 अप्रैल 2024 तक = 54 दिन

अतः, ब्याज की राशि = ₹36,500 × 18% × 54/365 = 972

उदाहरण 3

एबीसी लिमिटेड ने जुलाई *2024* माह के लिए अपना जीएसटीआर-*3*बी भाग *39* के अंतर्गत निर्धारित नियत तिथि *20.08.2024* के भीतर दायर किया। रिटर्न दाखिल करने के बाद, सितंबर *2024* के दौरान पंजीकृत व्यक्ति ने ध्यान दिया कि जुलाई *2024* माह के लिए *₹40,000* का कर भुगतान नहीं किया गया था। एबीसी लिमिटेड ने उक्त *₹40,000* की राशि का भुगतान सितंबर *2024* के जीएसटीआर-*3*बी के माध्यम से किया, जो *20.10.2024* को दाखिल किया गया था [भुगतान - कैश लेजर *₹30,000* तथा क्रेडिट लेजर *₹10,000]*। सीजीएसटी अधिनियम, *2017* के अंतर्गत देय ब्याज की जाँच करें।

यदि जुलाई *2024* माह का जीएसटीआर-*3*बी विलंब से *20.10.2024* को दायर किया गया हो और स्व-मूल्यांकित कर *₹40,000* का भुगतान उसी दिन (भुगतान - इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर *₹30,000* तथा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर *₹10,000)* किया गया हो, तो आपका उत्तर क्या होगा*?*

टिप्पणियाँ:

जुलाई *2024* माह के लिए अग्रिम कर के रूप में देय *₹40,000* के अतिरिक्त कोई अन्य आपूर्ति नहीं की गई है और न ही कोई अन्य कर देय है।

यदि इस मामले में लागू हो तो लीप वर्ष के प्रभाव की उपेक्षा करें।

उत्तर

कर के विलंबित भुगतान की स्थिति में सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 50 के अंतर्गत 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होता है, जो भुगतान की नियत तिथि के अगले दिन से लेकर वास्तविक भुगतान की तिथि तक गणना किया जाता है।

भाग 50 की उपभाग (1) के प्रथम प्रावधान के अनुसार, यदि किसी कर अवधि के लिए भाग 39 के अंतर्गत रिटर्न नियत तिथि के बाद दाखिल किया गया है, तो ब्याज केवल उस कर देयता के नकद भुगतान वाले हिस्से से किए गए भुगतान) पर ही देय होगा, क्रेडिट से चुकाए गए हिस्से पर नहीं।

उपरोक्त परिदृश्य में, एबीसीलिमिटेड ने जुलाई, 2024 माह के रिटर्न में स्व-मूल्यांकन के आधार पर ₹40,000 कर का भुगतान करने में चूक की है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अतः, ब्याज सकल देयता पर देय होगा और भाग 50(1) के प्रावधान का प्रथम प्रावधान लागू नहीं होगा।

इस प्रकार, एबीसीलिमिटेड द्वारा देय ब्याज की राशि निम्नानुसार होगी -

विलंब की अवधि: 21 अगस्त 2024 से 20 अक्टूबर 2024 = 61 दिन

ब्याज की गणना: ₹40,000 × 18% × 61/365 = ₹1,203

वैकल्पिक स्थिति: यदि एबीसीलिमिटेड ने जुलाई 2024 माह का रिटर्न 20 अक्टूबर 2024 को नियत तिथि 20 अगस्त 2024 के बाद दाखिल किया और स्व-मूल्यांकित कर ₹40,000 का भुगतान उसी दिन किया, तो भाग 50(1) के प्रावधान के प्रथम प्रावधान के अनुसार, ब्याज केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से भुगतान किए गए कर पर देय होगा।

विलंब की अवधि: 21 अगस्त 2024 से 20 अक्टूबर 2024 = 61 दिन

ब्याज की गणना: ₹30,000 × 18% × 61/365 = ₹902

5. इनपुट टैक्स क्रेडिट का स्थानांतरण [सीजीएसटी अधिनियम की भाग 53 और आईजीएसटी अधिनियम की भाग 18]

यदि सीजीएसटी की राशि का उपयोग आईजीएसटी की देनदारियों के निपटान के लिए किया जाता है, तो सीजीएसटी अधिनियम की भाग 53 के अंतर्गत, सीजीएसटी की राशि में वह क्रेडिट जितना उपयोग किया गया हो, उतनी कमी की जाएगी, और केंद्र सरकार इस कम की गई राशि के बराबर राशि को सीजीएसटी खाते से आईजीएसटी खाते में स्थानांतरित करेगी।

इसी प्रकार, यदि आईजीएसटी की राशि का उपयोग सीजीएसटी/यूटीजीएसटीकी देनदारियों के निपटान के लिए किया जाता है, तो आईजीएसटी अधिनियम की भाग 18 के अनुसार, आईजीएसटी की राशि में वह क्रेडिट जितना उपयोग किया गया हो, उतनी कमी की जाएगी, और केंद्र सरकार इस कम की गई राशि के बराबर राशि को आईजीएसटी खाते से सीजीएसटी/यूटीजीएसटीखाते में स्थानांतरित करेगी।

हालांकि, यदि आईजीएसटी की राशि का उपयोग एसजीएसटी की देनदारियों के निपटान के लिए किया जाता है, तो आईजीएसटी अधिनियम की भाग 18 के अनुसार, आईजीएसटी की राशि में वह क्रेडिट जितना उपयोग किया गया हो, उतनी कमी की जाएगी, और यह राशि 'उपयुक्त राज्य' सरकार को आवंटित की जाएगी। केंद्र सरकार आवंटित राशि को संबंधित राज्य सरकार के खाते में स्थानांतरित करेगी।

यहाँ, "उपयुक्त राज्य" का अर्थ है उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से, जहाँ करयोग्य व्यक्ति पंजीकृत है या सीजीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकरण का दायित्व रखता है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

चलो पुनःसार करें

कर, ब्याज और अन्य देय राशियों के भुगतान से संबंधित प्रावधानों को सारणी और आरेखों के माध्यम से संक्षेपित किया गया है, ताकि छात्रों को प्रावधानों को बेहतर और प्रभावी तरीके से याद रखने और समझने में सहायता मिल सके।

कुछ प्रमुख शब्दों की परिभाषाएँ

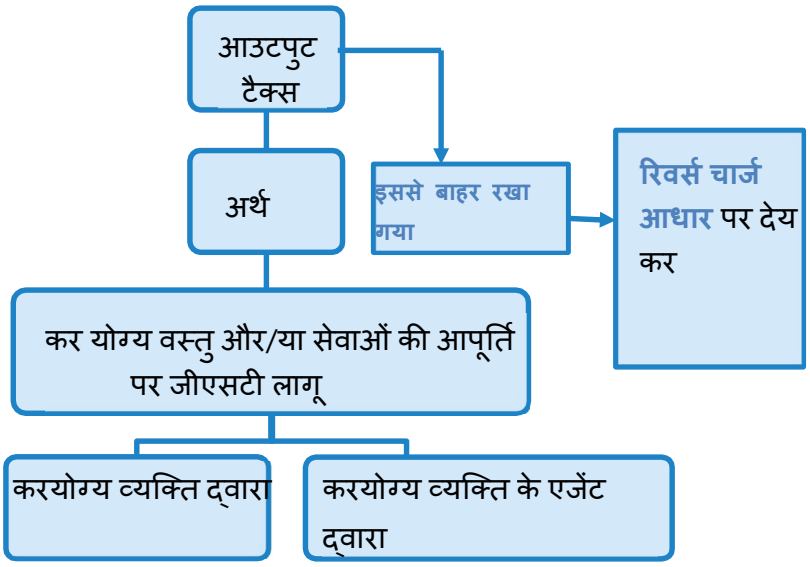

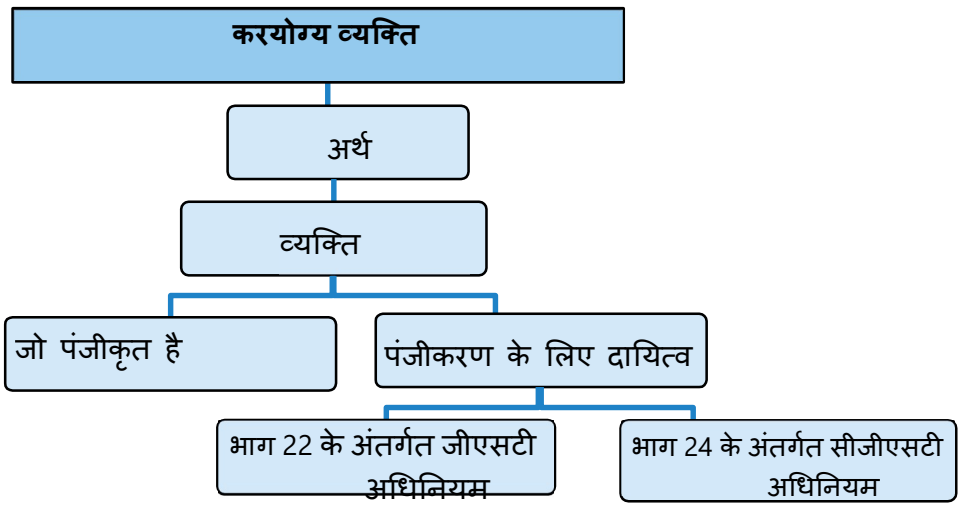

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

जीएसटी प्रणाली में किए जाने वाले भुगतान

भुगतान प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ

- ❑ जीएसटीएन सामान्य पोर्टल से सभी भुगतान मोड में इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न चालान और मैनुअल रूप से तैयार चालान का कोई उपयोग नहीं;
- ❑ करदाता के लिए कर भुगतान का सरल, कभी भी और कहीं भी उपलब्ध तरीका;
- ❑ ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा;
- ❑ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कर संग्रह के लिए वास्तविक समय का डेटा;
- ❑ सरकार के खाते में कर राजस्व का तेज़ प्रेषण;
- ❑ कागज़ रहित लेनदेन;
- ❑ तेज़ लेखांकन और रिपोर्टिंग;
- ❑ सभी प्राप्तियों का इलेक्ट्रॉनिक मेल-जोल;
- ❑ बैंकों के लिए सरल प्रक्रिया;
- ❑ डिजिटल चालान का भंडारण ।

ई-लेज़र/रजिस्टर क्या हैं?

इलेक्ट्रॉनिक लेज़र या ई-लेज़र प्रत्येक पंजीकृत करदाता के संबंध में नकद और इनपुट टैक्स क्रेडिट का विवरण होते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक करदाता के पास एक इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर भी होगा।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

इलेक्ट्रॉनिक लेज़र/रजिस्टर के प्रकार

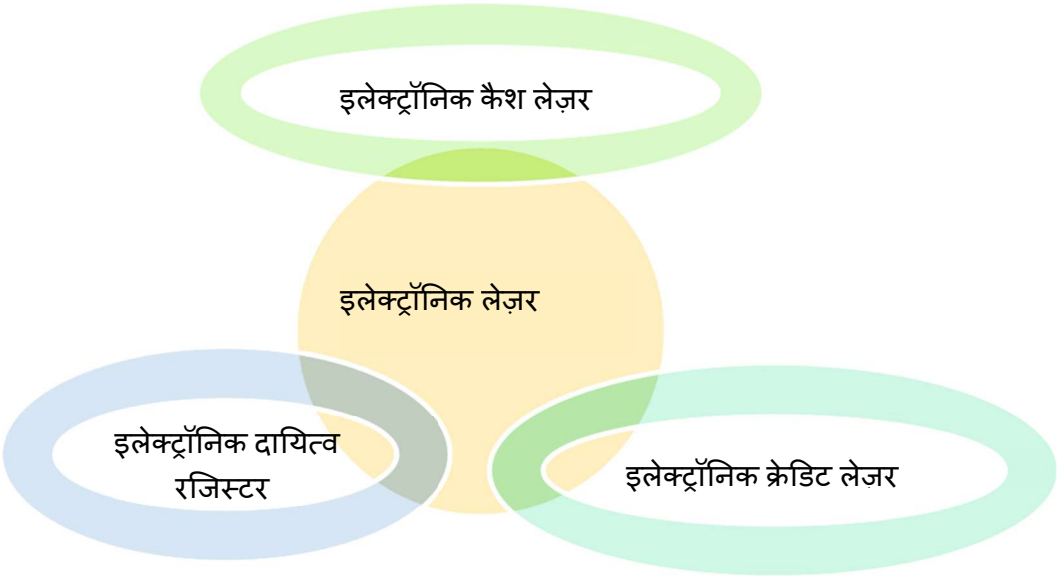

ए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जमा करने के तरीके

इंटरनेट बैंकिंग	• कोई सीमा नहीं
क्रेडिट/डेबिट कार्ड	• कोई सीमा नहीं
यूपीआई	• कोई सीमा नहीं
एनईएफटी/आरटीजीएस/आईएमपीएस	• कोई सीमा नहीं
ओवर द काउंटर	• प्रति चालान प्रति कर

कर देय राशि जमा करने की तिथि

कर देय राशि जमा करने की तिथि के रूप में कौन सी तिथि मानी जाती है?

(i)	चेक प्रस्तुत करने की तिथि	×
(ii)	भुगतान की तिथि	×
(iii)	सरकार के खाते में राशि के क्रेडिट की तिथि, जब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र/इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र से डेबिट किया गया हो	√

भुगतान के मुख्य और उप-प्रमुख हेड

प्रमुख प्रमुख
- आईजीएसटी
- सीजीएसटी
- एसजीएसटी/यूटीजीएसटी
- उपकर

इनमें से प्रत्येक मुख्य शीर्ष में निम्नलिखित पाँच लघु शीर्ष हैं:

लघु शीर्ष
- कर
- ब्याज
- जुर्माना
- शुल्क

मुख्य या उप-प्रमुख हेड के बीच फंड का पारस्परिक उपयोग – संभव

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

ए. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग का क्रम

आईटीसी	उपयोग का क्रम	
	(1)	(2)
आईजीएसटी	आईजीएसटी	सीजीएसटी/एसजीएसटी/यूटीजीएसटी- कोई भी आदेश
आईजीएसटी का आईजीएनएसटी पहले अनिवार्य रूप से पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए		
सीजीएसटी	सीजीएसटी	आईजीएसटी
आईजीएसटी के भुगतान के लिए एसजीएसटी का उपयोग करने से पहले सीजीएसटी की आईटीसी का पूर्ण उपयोग किया गया हो।		
एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	एसजीएसटी/यूटीजीएसटी	आईजीएसटी

सीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग एसजीएसटी/यूटीजीएसटी के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता। एसजीएसटी/यूटीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग सीजीएसटी के लिए नहीं किया

ए. इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर

करदायित्वधारी के दायित्व के निपटान का क्रम

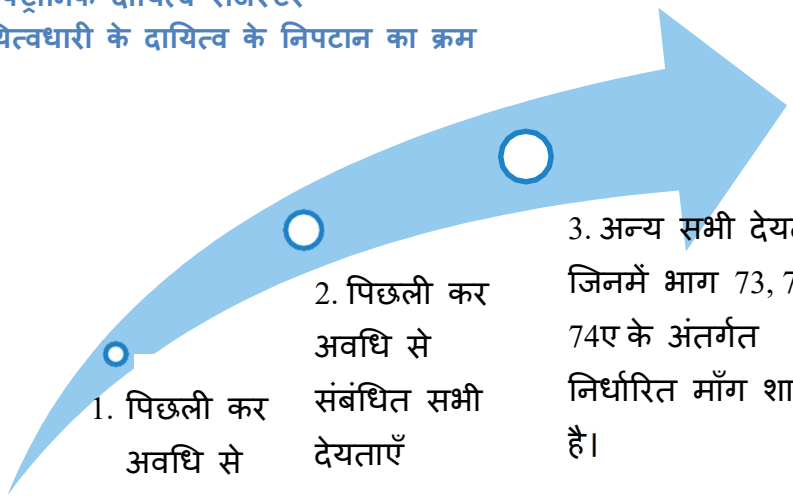

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

भुगतान करने का तरीका

इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के डेबिट के माध्यम से	नकद में, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के डेबिट के माध्यम से
सामान्य पोर्टल पर करदाता के क्रेडिट लेज़र के डेबिट के माध्यम से - केवल कर का भुगतान किया जा सकता है।	भुगतान नकद में या सामान्य पोर्टल पर करदाता के कैश लेज़र के डेबिट के माध्यम से किया जा सकता है।

ई-लेज़र/रजिस्टर

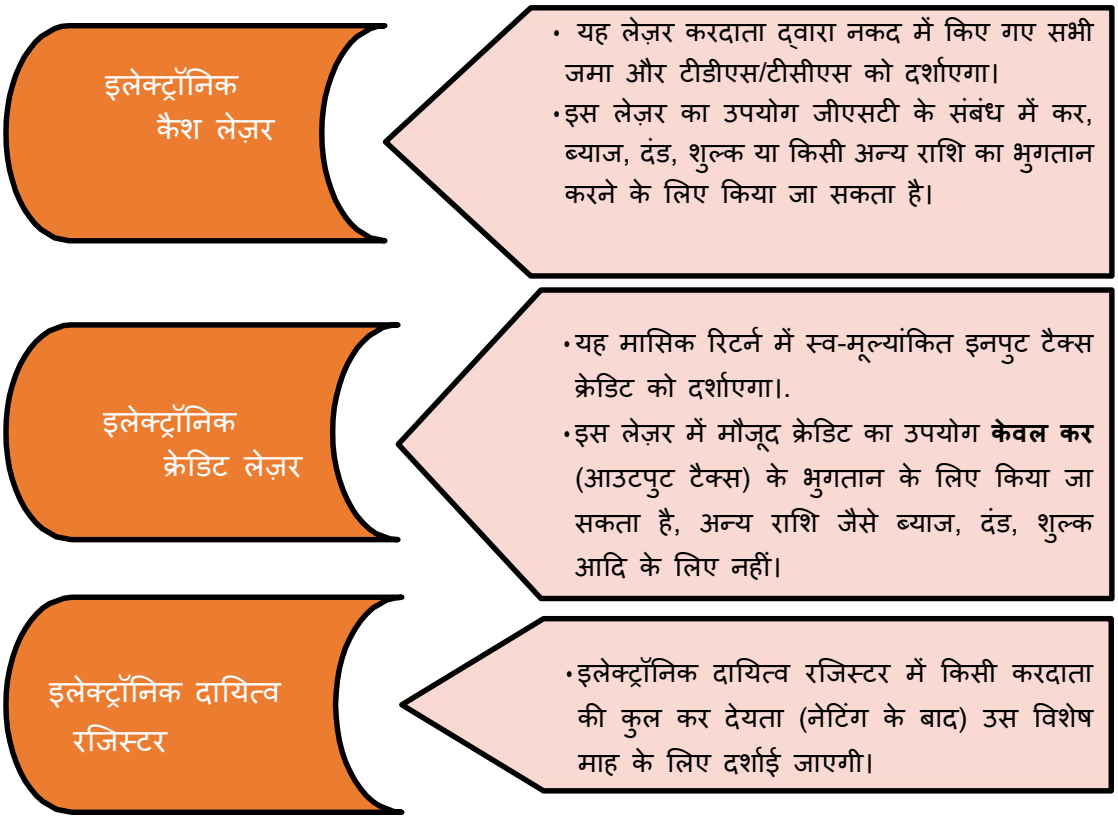

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

कर का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक लेज़र के माध्यम से

ए. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र

(इसे आसानी से समझने के लिए बैंक द्वारा प्रदान किए गए खाता विवरण के रूप में मानें)

डेबिट राशि (डीआर)	क्रेडिट राशि (सीआर)
• इस लेज़र की क्रेडिट राशि का उपयोग कर, ब्याज, शुल्क आदि के भुगतान के लिए किया जा सकता है। • उपरोक्त कर आदि के भुगतान के बाद शेष क्रेडिट शेष राशि को करदायित्वधारी द्वारा रिफंड के रूप में दावा किया जा सकता है।	• इंटरनेट बैंकिंग, आरटीजीएस, आईएमपी, फंड ट्रांसफर आदि के माध्यम से कर, ब्याज, दंड, विलंब शुल्क आदि के लिए किया गया कोई भी जमा। • दावा किए गए टीडीएस/टीसीएस।

बी. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र

डेबिट राशि (डीआर)	क्रेडिट राशि (सीआर)
• इस लेज़र की क्रेडिट राशि का उपयोग आउटपुट टैक्स जैसे आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस के भुगतान के लिए किया जा सकता है।	• रिटर्न में स्व-मूल्यांकित इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, सेस

सी. इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर

डेबिट राशि (डीआर)	क्रेडिट राशि (सीआर)
• कर, ब्याज, शुल्क आदि के भुगतान योग्य राशि • भुगतान योग्य कर या ब्याज • कोई अन्य देयताएँ	• इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र
• आउटपुट टैक्स के भुगतान योग्य राशि	• इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

कर के विलंबित भुगतान पर ब्याज [भाग 50]

करों की शुद्ध नकद देयता पर देय ब्याज [भाग 50(1)]

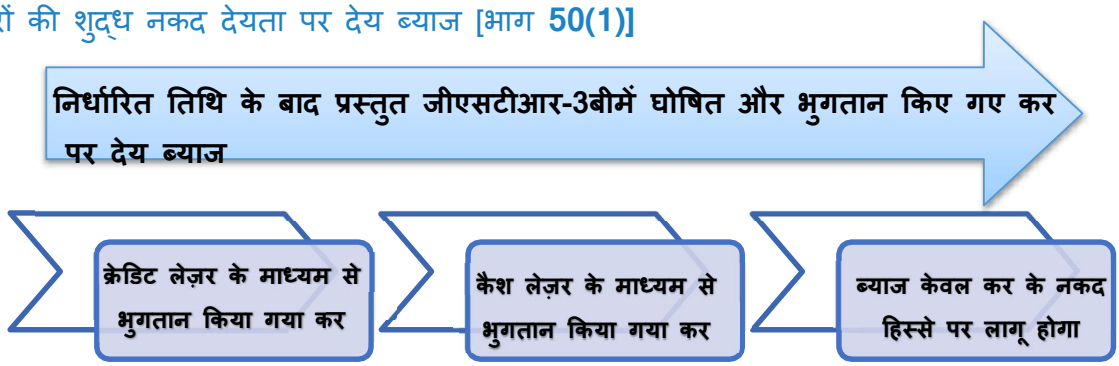

कुल कर देयता पर देय ब्याज [भाग 50(1)]

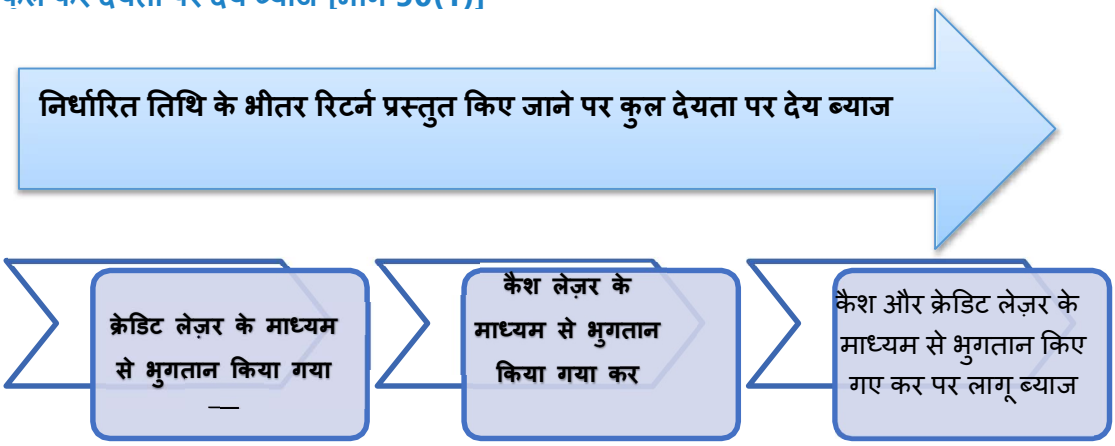

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

गलत तरीके से प्राप्त और उपयोग किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के कारण देय ब्याज [भाग 50(3)]

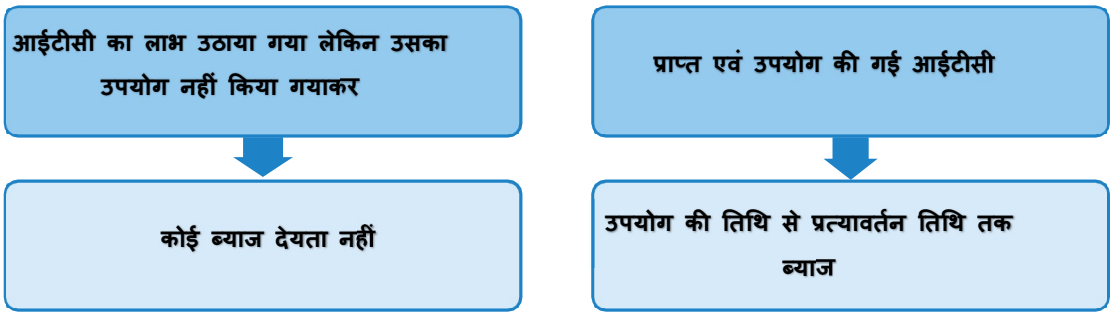

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अंतरण [सीजीएसटी अधिनियम की भाग 53 एवं आईजीएसटी अधिनियम की भाग 18]

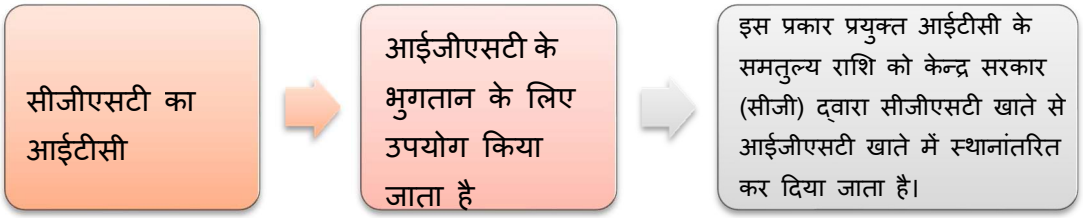

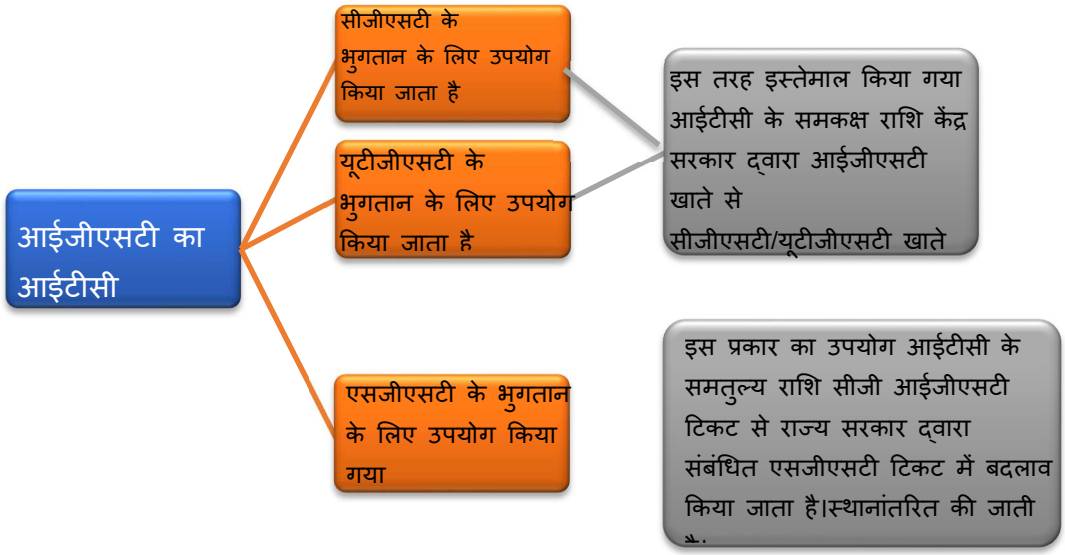

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अपने ज्ञान की जाँच करें

1. जीएसटी सामान्य पोर्टल पर कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक लेज़र/रजिस्टर बनाए जा रहे हैं?
2. जीएसटी भुगतान प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
3. क्या जीएसटी के तहत किए गए कर भुगतान पर अनाधिकृत लाभ के सिद्धांत लागू होते हैं?
4. जीएसटी के तहत आउटपुट टैक्स का नाम बताइए, जिसमें किसी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग किया जा सकता है।
5. श्री ए ने "आईजीएसटी" के मुख्य हेड के तहत "ब्याज" कॉलम के उप-हेड में *30,000* जमा किए। किसी कर अवधि के लिए जीएसटीआर-*3*बीदाखिल करते समय उन्होंने देखा कि 'कर' के उप-हेड के तहत पर्याप्त राशि नहीं है। सलाहकार से संपर्क करने पर, श्री ए को मार्गदर्शन मिला कि कर राशि को सही हेड में जमा करें और "ब्याज" हेड में जमा राशि के प्रेषण के लिए रिफंड का दावा करें। इस संदर्भ में सीजीएसटी अधिनियम, *2017* के प्रावधानों के अनुसार कर भुगतान और कानूनी अनुपालन की व्याख्या कीजिए।
6. मेसर्स एबीसी एंड कंपनीने सीजीएसटी अधिनियम, *2017* की भाग *39* के अंतर्गत रिटर्न (जीएसटीआर-*3*बी) मार्च माह के लिए नियत समय सीमा के भीतर प्रस्तुत नहीं किया। देरी का कारण मार्च माह की पुस्तकों के समापन में विलंब है, जो मई में अंतिम रूप से तैयार हुईं। जीएसटी सामान्य पोर्टल ने सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंतर्गत *2,000* प्रत्येक के विलंब शुल्क का भुगतान करने के लिए संकेत दिया। मेसर्स एबीसी एंड कंपनीने के लेखाकार ने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध शेष राशि से इस विलंब शुल्क का भुगतान करने की पुष्टि मांगी। इस संबंध में आपकी मार्गदर्शन क्या होगी?
7. साहिल कर्नाटक में कर योग्य वस्तुओं का आपूर्तिकर्ता है। उसने सितंबर माह में जीएसटी के तहत पंजीकरण कराया और उस माह के लिए अपनी आईजीएसटी देयता का भुगतान करना चाहता है। चूंकि वह पहली बार जीएसटी भुगतान कर रहा है, वह मानता है कि भुगतान के लिए ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा अनिवार्य है; जीएसटी के तहत ऑफलाइन भुगतान की अनुमति नहीं है। आपको साहिल को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जमा के विभिन्न तरीकों के बारे में जानकारी प्रदान करनी है। इसके अलावा, निम्नलिखित मुद्दों पर उन्हें सलाह दें:

(क) क्या जीएसटी के तहत मैनुअल चालान की अनुमति है?

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(ख) चालान की वैधता अवधि क्या है*?*

(ग) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के मुख्य और उप-हेड के बीच फंड का पारस्परिक उपयोग अनुमति प्राप्त है*?*

8. अक्टूबर माह के दौरान वह कोई सेवा प्रदान नहीं कर सकीं। हालांकि, उन्हें अपने कार्यालय से संबंधित सभी खर्च उठाने पड़े। उन्होंने विभिन्न विक्रेताओं को *75,000* का भुगतान किया। उनके द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं पर कुल इनपुट टैक्स *13,500* है। कुल बिलों में से एक बिल *15,000* सुरक्षा सेवाओं से संबंधित है, जो उनके कार्यालय की सुरक्षा के लिए ली गई, और जिस पर कर रिवर्स चार्ज के तहत देय है। इस बिल में इनपुट टैक्स *2,700* है।

सुहासिनी का मत है कि अक्टूबर माह के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र से कोई जीएसटी देय नहीं है क्योंकि उसके पास रिवर्स चार्ज के तहत सुरक्षा सेवाओं पर जीएसटी भुगतान के लिए पर्याप्त आईटीसीशेष है।

क्या आप सोचते हैं कि सुहासिनी सही है*?* कारणों के साथ समझाएँ, यह मानते हुए कि नियम *86*बी लागू नहीं है।

उत्तर

1. (क) इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र
   (ख) इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र
   (ग) इलेक्ट्रॉनिक दायित्व रजिस्टर
2. जीएसटी भुगतान प्रक्रिया की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:-
   (क) सभी भुगतान मोड में जीएसटीएन सामान्य पोर्टल से इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न चालान और मैनुअल चालान का कोई उपयोग नहीं;
   (ख) करदाता के लिए कर भुगतान का सरल, कभी भी और कहीं भी उपलब्ध तरीका;
   (ग) ऑनलाइन भुगतान करने की सुविधा;
   (घ) इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में कर संग्रह के लिए वास्तविक समय का डेटा;
   (ङ) सरकार के खाते में कर राजस्व का तेज़ प्रेषण

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(च) कागज़ रहित लेनदेन;

(छ) तेज़ लेखांकन और रिपोर्टिंग;

(ज) सभी प्राप्तियों का इलेक्ट्रॉनिक मेल-जोल;

(झ) बैंकों के लिए सरल प्रक्रिया;

(ञ) डिजिटल चालान का भंडारण।

3. हाँ, जैसे कि सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 49(9) के अनुसार, प्रत्येक वह व्यक्ति जिसने इस अधिनियम के तहत वस्तुओं या सेवाओं या दोनों पर कर का भुगतान किया है, जब तक कि उसके द्वारा इसके विपरीत साबित न किया जाए, को यह मान लिया जाएगा कि उसने ऐसे कर का पूरा भार उन वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता को हस्तांतरित कर दिया है।
4. आईजीएसटी - आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटीअर्थात् सभी इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग आउटपुट कर देयता (जिसे आईजीएसटी कहा जाता है) के खिलाफ किया जा सकता है। हालांकि, इसका उपयोग निर्धारित तरीके से ही किया जाना चाहिए।
5. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 49(10) की व्यवस्थाएँ पंजीकृत व्यक्ति को यह अनुमति देती हैं कि वह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जमा की गई राशि को किसी भी छोटे शीर्षक जैसे कर, ब्याज, दंड, शुल्क या अन्य से आईजीएसटी/सीजीएसटी/एसजीएसटी/ यूटीजीएसटी /सेस के किसी भी शीर्षक में स्थानांतरित कर सके और उसके उपर कर का भुगतान कर सके। तदनुसार, श्री ए को "कर" शीर्षक के तहत राशि जमा करने और "ब्याज" शीर्षक के तहत जमा राशि के प्रतिपूर्ति के लिए रिफंड का दावा करने की आवश्यकता नहीं है। बल्कि, फॉर्म जीएसटी पीएमटी09 का उपयोग करके, ऐसी राशि को स्व-प्रेरित रूप से सामान्य पोर्टल पर "ब्याज" से "कर" शीर्षक में स्थानांतरित किया जा सकता है और कर देयता का भुगतान उसी अनुसार किया जा सकता है।
6. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की भाग 49(3) यह प्रावधान करती है कि इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर, ब्याज, दंड, शुल्क या किसी अन्य देय राशि का भुगतान करने के लिए निर्धारित तरीके से किया जा सकता है।

   इसके अतिरिक्त, भाग 49(4) यह प्रावधान करती है कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध राशि का उपयोग इस अधिनियम या एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत आउटपुट कर के भुगतान के लिए निर्धारित तरीके से किया जा सकता है।

   अत: उपरोक्त प्रावधानों के संयुक्त अध्ययन के अनुसार, विलंब शुल्क का भुगतान केवल इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के माध्यम से ही किया जा सकता है और इसका भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के माध्यम से संभव नहीं है। अतः मेसर्स एबीसी एंड कंपनीके एकाउंटेंट का तर्क सही नहीं है और सामान्य पोर्टल पर प्रदर्शित विलंब शुल्क की राशि को

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

उपयुक्त छोटे शीर्षक के तहत इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में किसी भी निर्दिष्ट माध्यम से जमा करना आवश्यक है।

7. सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित नियमों के साथ, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जमा निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है, अर्थात्:-

(i) अधिकृत बैंकों के माध्यम से इंटरनेट बैंकिंग;

(ii) किसी भी बैंक से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई);

(iii) किसी भी बैंक से इमीडिएट पेमेंट सर्विस (आईएमपी);

(iv) अधिकृत बैंक के माध्यम से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड;

(v) किसी भी बैंक से नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) या रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस); या

(vi) अधिकृत बैंकों के माध्यम से ओवर द काउंटर भुगतान, प्रति कर अवधि प्रति चालान दस हजार रुपये तक, नकद, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से, कुछ विशिष्ट अपवादों के अधीन।

(क) जीएसटी व्यवस्था के तहत मैनुअल या भौतिक चालान की अनुमति नहीं है। चालान ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पर जनरेट करना अनिवार्य है।

(ख) चालान जनरेट होने की तिथि से चालान 15 दिनों की अवधि के लिए वैध होता है।

(ग) एक पंजीकृत व्यक्ति सामान्य पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में उपलब्ध किसी भी कर, ब्याज, दंड, शुल्क या किसी अन्य राशि को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत इंटीग्रेटेड टैक्स, केंद्रीय कर, राज्य कर या केंद्र शासित प्रदेश कर या सेस के इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में स्थानांतरित कर सकता है।.

8. इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध राशि, अर्थात् इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग आउटपुट कर के भुगतान के लिए किया जा सकता है। एक करदाता व्यक्ति के सन्दर्भ में आउटपुट कर का अर्थ है उस कर योग्य व्यक्ति द्वारा या उसके एजेंट द्वारा की गई कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला कर, लेकिन इसमें रिवर्स चार्ज आधार पर देय कर शामिल नहीं है।

अतः आईटीसीका उपयोग रिवर्स चार्ज के तहत कर देयता का भुगतान करने के लिए नहीं किया जा सकता। इसे हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के माध्यम से ही भुगतान करना आवश्यक है, न कि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र के माध्यम से। अतः सुहासिनी का दृष्टिकोण गलत है और उसे सुरक्षा सेवा पर ₹ 2,700 का जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र के माध्यम से भुगतान करना होगा।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

1. •ब्याज और दंड के भुगतान के लिए किया गया जमा किस लेज़र में क्रेडिट किया जाएगा?
2. •क्या बैंक के माध्यम से आईएमपी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश में जमा वैध है?
3. •क्या अधिकृत बैंकों के माध्यम से काउंटर भुगतान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जमा करने की कोई सीमा है?
4. • सीपीआईएन कितनी अवधि के लिए मान्य रहता है?
5. •जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न करों और भुगतानों के लिए कितने प्रकार के चालान निर्धारित हैं?
6. •किसी भी पंजीकृत व्यक्ति के आईजीएसटी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में उपलब्ध किसी भी राशि को स्थानांतरित करने की शर्त क्या है?
7. •इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में उपलब्ध शेष राशि का उपयोग किस लिए किया जाता है?
8. •क्या श्री एक्स को सीजीएसटी के भुगतान के लिए यूटीजीएसटी क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति है?
9. •पिछली कर अवधि का दंड पहले चुकाना होगा या बाद में?
10. •सीजीएसटी एवं एसजीएसटी के भुगतान के लिए आईजीएसटी क्रेडिट का उपयोग किस क्रम में किया जाएगा?

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

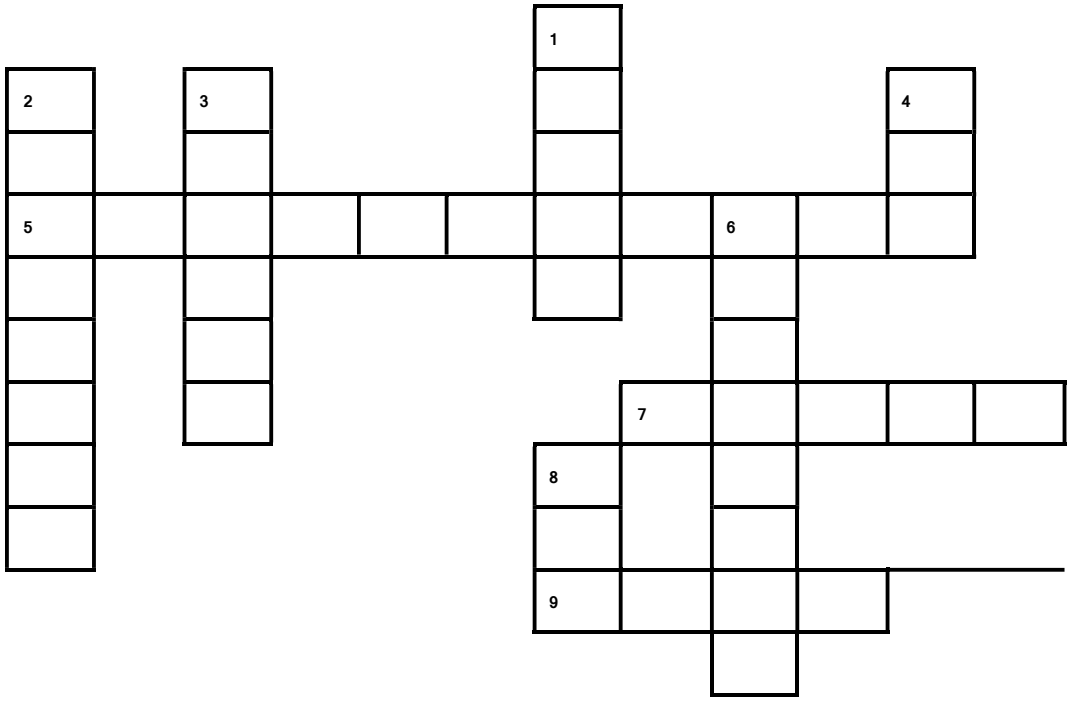

अक्रॉस

5. इनपुट टैक्स में उस कर को शामिल नहीं किया जाता जो ------ लेवी के तहत भरा गया हो।
7. गलत तरीके से लिया गया आईटीसी तब उपयोग किया हुआ माना जाएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में शेष राशि ------ आईटीसी की गलत तरीके से ली गई राशि के बराबर हो।
9. किसी भी अन्य क्रेडिट का उपयोग करने से पहले पूरी तरह से ------ का आईटीसीउपयोग किया जाना चाहिए। (संक्षिप्ताक्षर)

डाउनवर्ड्स

1. ------ रिटर्न का अर्थ है वह रिटर्न जो सीजीएसटी अधिनियम की भाग 39(1) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया हो और जिस पर स्व-मूल्यांकित कर पूरी तरह से भुगतान किया गया हो।
2. आउटपुट टैक्स वह कर है जो करदायित्वधारी को रिवर्स चार्ज बेसिस पर भुगतान करना होता है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

2. सूचना से उत्पन्न दायित्व अंतिम होता है।
3. ------ वह लेनदेन संख्या है जो बैंक द्वारा चालान के खिलाफ भुगतान के लिए दी जाती है। (संक्षिप्ताक्षर)
4. ------ के लिए दायित्व को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेज़र में शेष राशि के समायोजन द्वारा निपटाया नहीं जा सकता।
5. इलेक्ट्रॉनिक कैश लेज़र में जमा किसी भी बैंक के माध्यम से किया जा सकता है। (संक्षिप्ताक्षर)

इस अध्याय के रैपिड फायर क्विज़ और क्रॉसवर्ड पज़ल के उत्तर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित क्यूआर कोड स्कैन करें।

कोड स्कैन करें

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान